

अध्याय IV: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

4.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की कार्य पद्धति

4.1.1 परिचय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी/बोर्ड) की स्थापना (28 मार्च 1985) एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 (अधिनियम) के तहत की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) एक समन्वित योजना क्षेत्र है जो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (एनसीटीडी) पर केंद्रित है, जिसमें संपूर्ण एनसीटी शामिल है और सीमावर्ती राज्यों हरियाणा के (13 जिले), उत्तर प्रदेश के (यूपी) (8 जिले) और राजस्थान के (2 जिले) संबद्ध हैं। 31 मार्च 2018 को एनसीआर के तहत क्षेत्र 55,084 वर्ग किमी था।

4.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या बोर्ड के कार्य पद्धति एनसीआर के लिए समन्वित योजना सुनिश्चित करने में प्रभावी थी और क्या बोर्ड अपनी योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन में, परियोजनाओं की निगरानी में और वित्तीय प्रबंधन में कुशल था।

4.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा ने 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान बोर्ड के कार्यकलापों की समीक्षा की, और 2017-18 के लिए लेखापरीक्षा परिणामों को अद्यतन किया गया। प्रतिभागी राज्यों में स्थापित एनसीआर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग सेल (एनसीआरपीएमसी) को भी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया था।

4.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड एनसीआरपीबी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों; क्षेत्रीय योजना (आरपी), उप-क्षेत्रीय योजनाएं (एसआरपी), कार्यात्मक योजनाएं (एफपी) और अध्ययन प्रतिवेदनो; बोर्ड की विभिन्न बैठकों के एजेंडा एवं कार्यवृत्तों, शक्तियों के प्रत्यायोजन एवं वार्षिक प्रतिवेदनों से लिए गये हैं।

4.1.5 संगठनात्मक ढाँचा

बोर्ड में एक अध्यक्ष, 15 सदस्य और एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव सम्मिलित हैं। आवासीय और शहरी मामलों के केन्द्रीय मंत्री, बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बोर्ड को अपने कार्यों के निर्वहन में एक योजना समिति (पीसी) के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। पीसी में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। बोर्ड के सदस्य सचिव, पीसी के पदेन अध्यक्ष हैं।

4.1.6 लेखापरीक्षा अवलोकन

4.1.6.1 योजना प्रक्रिया और क्षेत्रीय योजना का कार्यान्वयन

जहाँ तक नियोजन का संबंध है, एनसीआरपीबी को एनसीआर के लिए क्षेत्रीय वहन के आधार पर आरपी के एक या अधिक घटकों जैसे कि पानी, परिवहन, बिजली आदि के लिए एक एफपी तैयार करना तथा राज्यों को एनसीआर के घटक क्षेत्रों के लिए एसआरपी तैयार करने में सहायता प्रदान करना आवश्यक था। एनसीआर प्रतिभागी राज्य, राज्य स्तर पर अपनी संबंधित संविधियों के तहत मास्टर प्लान तैयार करते हैं।

(क) क्षेत्रीय योजना और इसके संशोधन की तैयारी

एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 के अनुसार, "संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के प्रावधानों के अनुसरण में, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के सभी सदनों द्वारा इस आशय के प्रस्ताव पारित किए गए हैं जैसे कि इस तरह की योजना के कार्यान्वयन में समन्वय और निगरानी करना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि उपयोग और बुनियादी ढांचे के विकास के नियंत्रण के लिए सामंजस्यपूर्ण नीतियों को विकसित करना ताकि किसी भी अव्यवस्थित विकास से बचने के लिए संसद द्वारा उन राज्यों में विनियमित किया जाना चाहिए"। इसके अलावा अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, बोर्ड का मुख्य कार्य 20 वर्षों की अवधि के लिए आरपी तैयार करना है तथा अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार, बोर्ड को उसकी अधिसूचना की तारीख से प्रत्येक 5 वर्षों के बाद आरपी की समीक्षा करना आवश्यक है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित उल्लेख किए:

- (i) बोर्ड ने अपने हॉरिजोन पीरीयड (2001 से 2021) के पूरा होने के साढ़े तीन साल से भी अधिक समय के अंतराल के बाद (17 सितंबर 2005) अपने आरपी 2021 को अधिसूचित किया।

- (ii) आरपी 2021 की पहली समीक्षा सितंबर 2010 में होनी थी, हालाँकि, इसे बोर्ड की 32वीं बैठक (मार्च 2012) में डेढ़ साल की देरी के बाद शुरू किया गया था।
- (iii) आरपी की समीक्षा एवं संशोधन प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शन के लिए गठित (जून 2012) संचालन समिति ने (जून 2012 से जनवरी 2014) नियत मासिक बैठकों की जगह केवल चार बैठकें की। आगे, आरपी 2021 की समीक्षा एवं संशोधन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
- (iv) बोर्ड की 33वीं बैठक (01.07.2013) में ड्राफ्ट संशोधित क्षेत्रीय योजना 2021 को एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 की धारा 12(1) के तहत जनता से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करने के लिए अनुमोदित किया गया था। 20.12.2013 तक डीआरआरपी 2021 पर, 63 आपत्तियाँ और सुझाव प्राप्त हुए थे। आरपी 2021 को संशोधित करते हुए, बोर्ड ने हरियाणा सरकार (जीओएच) के क्षेत्रीय भूमि उपयोग से संबंधित प्रस्तावों के अनुसार "वन क्षेत्रों में पर्यटन" को क्षेत्रीय मनोरंजन की गतिविधियों के तहत स्वीकार और समाविष्ट किया (जनवरी 2014)। यह उन आपत्तियों के बावजूद किया गया था कि प्रस्तावित प्रावधान आरपी-2021 के पहले के प्रावधान को कमजोर करने के बजाय मजबूत करना चाहिए क्योंकि दिल्ली से जुड़े सीमावर्ती इलाकों में विकास का महत्वपूर्ण प्रभाव है। बाद में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) ने इसे मसौदा संशोधित क्षेत्रीय योजना (डीआरआरपी) 2021 हरियाणा के एसआरपी में इसके समावेश पर आपत्ति (मार्च 2014) उठाई थी। इस संबंध में बोर्ड को अपना निर्णय वापस लेना (अप्रैल 2014) पड़ा था। यह हरियाणा सरकार को पूरे एनसीआर के लिए प्रतिकूल प्रभाव के साथ अनुचित लाभ दिये जाने का संकेत देता है।
- (v) प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एनसीजेड) के मानचित्रण और परिसीमन अध्ययन में देरी तथा एमओईएफ एवं सीसी द्वारा अध्याय 14 (पर्यावरण) और अध्याय 17 (क्षेत्रीय भूमि के उपयोग) पर उठाए गए बिंदुओं को संबोधित किये जाने के कारण आरआरपी 2021 की अधिसूचना लंबित (सितंबर 2018) थी।
- (vi) अधिनियम ने प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद आरपी 2021 के तीन संशोधनों की अवधारणा की। हालाँकि, स्वयं आठ साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरपी 2021 की पहली समीक्षा और संशोधन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। परिणामतः संशोधित नीति एवं प्रस्ताव, जो कि आरआरपी 2021 के द्वारा लिये जाने थे, को

प्रभावी और कार्यान्वित नहीं कराया जा सका। आरआरपी 2021 के मसौदे में शामिल किए गए महत्वपूर्ण संशोधन (i) 2011 की जनगणना के साथ संशोधित आंकड़े, (ii) जनसांख्यिकीय रूपरेखा और निपटान पैटर्न में संशोधन, (iii) सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी और सिंचाई के लिए प्रस्ताव एवं नीतियां (iv) क्षेत्रीय भूमि उपयोग से संबंधित मुद्दों, नीतियां और प्रस्तावों में संशोधन (v) 2007-2012 के दौरान आरपी 2021 के परिणामों में काउंटर चुंबक क्षेत्रों के विकास के लिए रणनीतियाँ, (vi) 2007-2012 के दौरान आरपी 2021 की उपलब्धियों को शामिल करना इत्यादि।

बोर्ड और मंत्रालय ने अपने उत्तर में (जनवरी/अप्रैल 2018) कहा कि:

- (i) प्रारंभ में यह मामला (नवंबर 2009) बोर्ड के समक्ष उसकी 31वीं बैठक में रखा गया था जिसके तहत 2008-09 में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से क्षेत्रीय भूमि उपयोग को अद्यतन करने के संबंध में कार्रवाई शुरू की गई थी। बाद में, इस मामले को फिर से बोर्ड की 32वीं बैठक में रखा गया, जिसमें आरपी 2021 की समीक्षा प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद, आरपी की समीक्षा और संशोधन के लिए एससी का गठन किया गया। चूंकि, बोर्ड की बैठक दिसंबर 2009 और फरवरी 2012 के बीच नहीं हो सकी इसलिए मामले को बोर्ड के समक्ष नहीं रखा जा सका।
- (ii) एमओइएफएण्डसीसी की टिप्पणियाँ बोर्ड द्वारा जांच की गईं और (फरवरी 2017) को एमओएचयू को अग्रेषित किया गया और बोर्ड की 37वीं बैठक (दिसंबर 2017) में चर्चा की गई थी।

हालांकि, तथ्य यह है कि:

- (i) पुनरीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बोर्ड द्वारा कोई तत्परता नहीं दिखाई गई, इसे केवल जुलाई 2012 में ही एससी के गठन के बाद संशोधित किया गया था, और पुनरीक्षण प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई थी।
- (ii) आरपी 2021 में संशोधन नहीं होने के कारण, संशोधित आरपी में किए गए संशोधनों और परिवर्तनों को प्रभावी नहीं बनाया जा सका। नतीजतन, आरआरपी 2021 में एनसीआर में नए जोड़े गए जिलों (हरियाणा में 4, राजस्थान में 1 और यूपी में 2) के लिए आरपी के नियमन को शामिल और अद्यतन नहीं किया गया है।

(ख) क्रियात्मक योजनाओं का गैर निरूपण

अधिनियम की धारा 7 (ए) और (सी) के अनुसार, एफपी की तैयारी और प्रतिपादन तथा प्रतिभागी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से एफपी और उसका प्रवर्तन और कार्यान्वयन, बोर्ड की भूमिका के दायरे में आता है। इसके अलावा, एसआरपी को बनाने में प्रतिभागी एनसीआर राज्यों की सहायता के लिए, बोर्ड ने मौजूदा स्थिति का आकलन करने, मुद्दों/समस्या की पहचान करने और समग्र विकास के लिए रणनीति/सिफारिशें/कार्य योजना बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के आधार पर एफपी तैयार किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- (i) जबकि आरपी 2021 को सितंबर 2005 में अधिसूचित किया गया था, इसके एफपी के निर्माण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। मार्च 2018 तक, एफपी की तैयारी के लिए आरपी में चिन्हित 12 घटकों में से केवल चार एफपी अर्थात् परिवहन (नवंबर 2009), भूमिगत जल पुनर्भरण (दिसंबर 2009), जल निकास (अप्रैल 2016) और आर्थिक विकास (जून 2016) को मंजूरी दी गई थी और इसके निर्माण में लगभग 4 से 11 साल लगे थे। आर्थिक विकास (2010) और इसकी मंजूरी (जून 2016) के लिए अध्ययन के संचालन में काफी अंतर था। इस प्रकार, एफपी के सभी आंकड़े 2004-05 से 2009-10 की अवधि से संबंधित थे और इसकी मंजूरी से पहले बोर्ड द्वारा अद्यतन नहीं किया गया था।
- (ii) दो एफपी (i) जलनिकास और (ii) आर्थिक विकास को यूपी (दिसंबर 2013) और राजस्थान (नवंबर 2015) के एसआरपी तैयार करने के बाद मंजूरी दी गई (अप्रैल/जून 2016) जिसके परिणामस्वरूप एसआरपी के गठन में, भाग लेने वाले राज्यों को परिकल्पित मार्गदर्शन की कमी हुई।
- (iii) इसके अतिरिक्त एफपी की तैयारी, अर्थात् सूक्ष्म और घरेलू उद्यम, स्वास्थ्य अवसंरचना और पर्यटन और विरासत अभी भी (सितंबर 2018) प्रगति पर थे और प्रतिभागी राज्यों द्वारा अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत नहीं करने के कारण उर्जा पर एफपी हटा दिया गया था। इसलिए, आरपी 2021 की तैयारी से 12 साल से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद, सभी पहचाने गए क्षेत्रों के लिए एफपी

तैयार नहीं किए गए थे तथा चार क्षेत्रों¹ में एफपी की शुरुआत नहीं की गई थी।

बोर्ड और मंत्रालय ने अपने जवाब में (दिसंबर 2017/जनवरी/अप्रैल 2018) कहा कि एफपी की तैयारी को एसआरपी की तैयारी से नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि एसआरपी उप-क्षेत्रीय स्तर पर समग्र दस्तावेज हैं, जिसके लिए आरपी मार्गदर्शक दस्तावेज है, जबकि, एफपी आरपी के ढांचे के अन्तर्गत तैयार किए गए अधिक सेक्टर विशिष्ट योजनाएं हैं। इसके अलावा, अधिनियम प्रदान करता है कि आरपी के परिचालन के बाद बोर्ड सहभागी राज्यों के उचित मार्गदर्शन के लिए आवश्यकतानुरूप कई एफपी तैयार कर सकता है। तदनुसार, बोर्ड ने विशिष्ट क्षेत्रों के लिए एफपी तैयार किए थे। आर्थिक विकास पर एफपी को अंतिम रूप देने में देरी के बारे में, बोर्ड ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभागों/एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा भाग लेने वाली कार्यशाला के दौरान चर्चा के आधार पर एफपी को मंजूरी दी गई थी। बोर्ड का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:-

- (i) एनसीआरपीबी अधिनियम के अध्याय 3, खंड 7 (ए) के अनुसार, बोर्ड को क्षेत्रीय योजना और कार्यात्मक योजनाओं को तैयार करना था। आरपी 2021 के पैरा 17.4 में यह भी प्रावधान है कि योजनाएं जैसे उप-क्षेत्रीय योजना, मास्टर विकास योजना का निम्न श्रेणीकरण होना चाहिए। इसलिए, योजनाओं का पदानुक्रम, अर्थात् आरपी, एफपी, मास्टर/डेवलपमेंट प्लान, समग्र योजना की एक एकीकृत प्रणाली स्थापित करता है जो आरपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। पुराने आंकड़ों के आधार पर एफपी की निरंतर प्रासंगिकता का मुद्दा संदिग्ध है।
- (ii) क्षेत्रीय स्तर पर एकीकृत क्षेत्रीय जल निकासी योजना और जिला स्तर पर जल निकासी का मास्टर प्लान क्षेत्र में वर्तमान/भविष्य के विकास और निपटान पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और स्थानीय नालियों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय स्तर पर सभी संबंधित कार्यों को एक ही एजेंसी द्वारा समन्वित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि जल निकासी मास्टर प्लान को जिलेवार और शहरवार तैयार नहीं किया गया था। इसके अलावा, तूफान के पानी की निकासी के लिए एकीकृत योजना का अभाव था, जो स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय प्रभाव था, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, यूपी. और एनसीटी-दिल्ली के उप-क्षेत्र शामिल थे।

¹ संचार, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास

- (iii) यद्यपि जल निकासी एनसीआर में मुख्य शहरी बुनियादी ढांचे के विकास का हिस्सा था, लेकिन इस क्षेत्र में कम जोर दिया गया था। एनसीआरपीबी द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित 300 परियोजनाओं में से स्थापना (1985-86) के बाद से, केवल छः जल निकासी परियोजनाओं को ही एनसीआरपीबी द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित किया गया, जो कि कुल वित्त पोषित परियोजनाओं का दो प्रतिशत है।

(ग) उप-क्षेत्रीय योजनाओं का गठन

यह अधिनियम प्रदान करता है कि प्रत्येक प्रतिभागी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश अपने उप क्षेत्र के लिए एसआरपी तैयार करेगा और प्रत्येक एसआरपी को अंतिम रूप देने से पहले भूमि का परिसीमन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक था। इसके अलावा, आरपी 2021 में निर्धारित किया गया है कि क्षेत्रीय स्तर पर, भूमि का उपयोग योजनाओं के निचले पदानुक्रम, अर्थात् एसआरपी और मास्टर / विकास योजनाओं में चयनित क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में निर्देशित और विनियमित किया जा सकता है। बोर्ड ने अपनी विशेष बैठक (अप्रैल 2014) में निर्णय लिया कि सटीक सीमांकन के लिए, एनसीजेड को राज्य के राजस्व रिकॉर्ड के सत्यापन के साथ-साथ विस्तृत भू-त्रिगुट के आधार पर प्रत्येक प्रतिभागी राज्य द्वारा वितरित किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- एनसीआर को अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश (यूपी) जिलों के एसआरपी को दिसम्बर 2013 में प्रकाशित किया गया था, अर्थात् आरपी 2021 की अधिसूचना की तारीख के 8 साल बाद। राजस्थान में, एनसीआर में एकमात्र जिले अर्थात् अलवर के लिए एसआरपी को सितम्बर 2005 में आरपी के अधिसूचना के 10 वर्ष बाद प्रकाशित किया गया था। एक अन्य जिले, जो जुलाई 2013 के दौरान राजस्थान में एनसीआर के अंतर्गत शामिल किया गया था अर्थात् भरतपुर का एसआरपी अभी भी लंबित था।
- दिल्ली के लिए, डीडीए (फरवरी 2007) द्वारा तैयार मास्टर प्लान को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के एसआरपी के रूप में माना गया था।
- हरियाणा उप क्षेत्र का एसआरपी (मई 2014) प्रकाशित किया गया था, लेकिन पर्यावरण से संबंधित विवादास्पद प्रावधानों (अध्याय 14), भूमि उपयोग (अध्याय 17) को शामिल करने और एनसीजेड के मानचित्रण और परिसीमन में देरी के कारण अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

- राजस्थान के मामले में, बोर्ड ने (जून 2015) इस आधार पर एसआरपी के मसौदे पर विचार किया कि एनसीजेड के परिसीमन में समय लग रहा था और एनसीजेड के विलम्बित होने पर एसआरपी में संशोधन किया जा सकता है। हालाँकि, राजस्थान सरकार (जीओआर) ने एसआरपी को इसके बावजूद भी अधिसूचित किया कि एनसीजेड ग्राउंड ड्रथिंग और परिसीमन के कार्य को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।
- परियोजना मंजूरी और निगरानी समूह (पीएसएमजी) ने उन परियोजनाओं के संबंध में ₹1648.37 करोड़ (अनुलग्नक-II) की वित्तीय सहायता (इसमें से ₹1562.93 करोड़ हरियाणा सरकार को वितरित किये गये) को मंजूरी दे दी, जिसके लिए प्रतिभागी राज्यों द्वारा संवितरण के समय एसआरपी नहीं तैयार किया गया था। इस प्रकार, प्रतिभागी राज्यों के एसआरपी की अनुपस्थिति में, बोर्ड द्वारा ऋण की मंजूरी अधिनियम के अध्याय VI के खंड 22(1) के उल्लंघन में थी।

बोर्ड और मंत्रालय ने अपने जवाब (जनवरी/अप्रैल 2018) में उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की और कहा कि राजस्थान के एसआरपी पर योजना समिति (पीसी) ने (जीओआर) के अनुरोध पर विचार किया। बोर्ड ने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, एनसीआर/प्रतिभागी राज्य एसआरपी की तैयारी और इसके बाद, बोर्ड द्वारा किए गए अवलोकनों पर उचित विचार करने के बाद अपने संबंधित एसआरपी को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, जहां तक एसआरपी की अनुपस्थिति में वित्तीय सहायता की बात है, एनसीआरपीबी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है जो क्षेत्रीय योजना के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा की दृष्टि में, चूंकि एनसीआर एक समन्वित योजना क्षेत्र है, बोर्ड एसआरपी की समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। अधिनियम के अध्याय-III, खंड 7(बी) के अनुसार, बोर्ड को प्रतिभागी राज्यों द्वारा एसआरपी की समयबद्ध तैयारी के लिए व्यवस्था करना है। बोर्ड ने (मई 2006) प्रतिभागी राज्यों को एसआरपी तैयार करने के लिए अनुरोध करने में आठ महीने से अधिक समय लिया और प्रतिभागी राज्यों द्वारा एसआरपी तैयार करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 17(3)(एफ) के अनुसार, एक उप-क्षेत्रीय योजना पीने के पानी की आपूर्ति और जल निकासी तत्वों के लिए उप-क्षेत्रीय स्तर पर आरपी को विस्तृत करने के प्रस्तावों का संकेत दे सकती है। हालांकि, उत्तर प्रदेश और राजस्थान उप-क्षेत्र के एसआरपी में जल निकासी के संबंध में आरपी 2021

की नीतियों और प्रस्तावों को पूरा करने की योजनाएं विस्तृत नहीं थीं। इस प्रकार, निचले स्तर की योजनाओं ने आरपी 2021 की नीतियों और प्रस्तावों की व्याख्या नहीं की। इसके अलावा, अधिनियम यह कहता है कि एसआरपी के कार्यान्वयन के लिए भागीदार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(घ) मास्टर/विकास योजनाओं की स्वीकृति

क्षेत्रीय योजना 2021 निर्धारित करती है कि क्षेत्रीय स्तर पर, भूमि का उपयोग योजनाओं के निचले पदानुक्रम, यानी एसआरपी और मास्टर/विकास योजनाओं में चयनित क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में निर्देशित और विनियमित किया जा सकता है। आरपी 2021 के अनुसार, नियंत्रित/विकास/विनियमित क्षेत्रों में कोई भी विकास बोर्ड द्वारा अनुमोदित संबंधित क्षेत्रों के लिए मास्टर/विकास योजना के अलावा नहीं किया जा सकता है और राज्य सरकारों द्वारा उनके संबंधित अधिनियमों के तहत विधिवत अधिसूचित किया जाएगा। सभी शहरों के मास्टर/विकास योजनाएं आरपी 2021 के ढांचे के भीतर तैयार की जानी थी; आरपी 2021 के अनुसार, मास्टर/विकास योजनाओं की मंजूरी बोर्ड की जिम्मेदारी थी।

इस संबंध में, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देखा (दिसंबर 1998) कि "अधिनियम एक केंद्रीय विधान है और बोर्ड की मौन अनुमति और करीबी जांच के अलावा भूमि उपयोग को बदला नहीं जा सकता है। एनसीआर द्वारा ग्रहण किए गए क्षेत्र के भीतर कृषि, वनों या हरितक्षेत्र के अनुरूप उपयोग के लिए आरक्षित भूमि की खरीद द्वारा उद्योग या शहरीकरण का विकास निषिद्ध है। जो भी विकास अनुमान्य है, इसे अधिनियम के तहत नामित और इसके तहत गठित किए गये प्राधिकरणों के द्वारा सख्ती से निगरानी की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बोर्ड प्रतिभागी राज्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये मास्टर प्लान को मंजूरी नहीं दे रहा था। भूमि उपयोग में परिवर्तन एनसीआर प्रतिभागी राज्यों द्वारा राज्य में प्रासंगिक विधि के तहत किया जा रहा है, न कि बोर्ड द्वारा। बोर्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की जांच से पता चलता है कि इसने हरियाणा के प्रतिभागी राज्य के द्वारा नूह एवं रेवाड़ी नगर के विकास/मास्टर प्लान के बनाये जाने के बगैर (i) नल्हर मेडिकल कॉलेज एवं नूह नगर (₹79.20 करोड़ की ऋण सहायता) एवं (ii) रेवाड़ी कोट कासिम रोड, को एन. एच.-8 तक चार लेन करने, शाहजहाँपुर रेवाड़ी सड़क को 6 किमी तक करने, रेवाड़ी नारनौल सड़क (एन एच 26), रेवाड़ी मोहिंदरगढ़ सड़क, रेवाड़ी दादरी सड़क (₹79.55 करोड़ की ऋण सहायता) को मंजूरी और धन प्रदान किया।

बोर्ड और मंत्रालय ने अपने जवाब (जनवरी/अप्रैल 2018) में कहा कि विभिन्न अदालती फैसलों के परिणामस्वरूप, मास्टर/विकास योजना के अनुमोदन के प्रावधान को आरपी 2021 में शामिल किया गया था और बोर्ड द्वारा अनुमोदित (अक्टूबर 2004) किया गया था। हालाँकि, इसमें दो भाग लेने वाले राज्यों द्वारा आपत्ति जताई गई थी। इसलिए, आम सहमति के बगैर, बोर्ड किसी भी मास्टर/विकास योजना को मंजूरी नहीं दे रहा है। उसके बाद, इस मामले को (जुलाई 2005) विधि और न्याय मंत्रालय को जांच के लिए भेजा गया और उनकी राय का अभी भी इंतजार है (सितंबर 2018)।

बोर्ड और मंत्रालय के जवाब मानने योग्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में पाया गया है कि राजस्थान ने जांच और अनुमोदन के लिए बोर्ड को अपनी मास्टर योजना आम सहमति के बावजूद प्रस्तुत किया था। लेखापरीक्षा की राय में, आरपी और एसआरपी के साथ मास्टर/विकास योजना के एकीकरण और सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए योजनाओं की पदानुक्रम बोर्ड द्वारा मास्टर प्लान को मंजूरी दी जा सकती है। बोर्ड का मुख्य कार्य भूमि को नियंत्रित करना है। एनसीआर में बुनियादी ढाँचे के नीतिगत विकास को निर्धारित करके उपयोग किया जाता है, जो काफी हद तक अप्रभावित रहा। बोर्ड ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट (2016-17) में कहा है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण और विकास के मद्देनजर, क्षेत्र में अनियोजित विकास, अनाधिकृत निर्माण, गैर-कृषि उपयोगों के लिए अच्छी कृषि भूमि का रूपांतरण और अतिक्रमणों के खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

(ड) अपर्याप्त समन्वय और आरपी के कार्यान्वयन की निगरानी

बोर्ड की बैठकों, योजना समिति (पीसी), आदि के माध्यम से बोर्ड को विभिन्न स्तरों पर आरपी 2021 के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी सुनिश्चित करनी है। इसके अलावा, एनसीआरपीबी नियम 1985 के अनुसार, बोर्ड को प्रत्येक छः महीने में सामान्यतः कम से कम एक बार व्यापार के लेन-देन के लिए मिलना है। आरपी 2021 की प्रभावी निगरानी और नियमित कार्यान्वयन के लिए, राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी) को आरपी की नीतियों और प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करने के लिए; अधिनियम में परिकल्पित विभिन्न योजनाओं की तैयारी के समन्वय करने के लिए प्रत्येक तिमाही में मिलना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पिछले छः वर्षों में, 31 मार्च 2018 को समाप्त, एनसीआरपीबी नियम 1985 में 12 साधारण बोर्ड बैठकों की जगह, केवल 4 बैठकें आयोजित की गईं। बोर्ड की 34वीं और 35वीं बैठक के बीच डेढ़ साल से अधिक का अंतर था। 2012-13 और 2014-15 के दौरान, बोर्ड की कोई बैठक आयोजित नहीं की

गई थी। इसके अलावा, हालांकि पीसी की बैठकों के संचालन के लिए कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन पिछले पांच वर्षों के दौरान पीसी की केवल सात बैठकें आयोजित की गईं।

इसके अलावा, एसएलएससी की बैठकें आयोजित करने में कोई नियमितता नहीं थी। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले छः वर्षों में, 96 बैठकों की जगह केवल 10 बैठकें (हरियाणा और जीएनसीटीडी प्रत्येक के लिए तीन, यूपी और राजस्थान प्रत्येक के लिए दो) की गई थी। यह नीतियों और प्रस्तावों को लागू करने में प्रतिभागी राज्यों की प्रतिबद्धता की कमी को इंगित करता है। आरपी 2021 और इसके बाद, प्रभावी कार्यान्वयन और आरपी 2021 की नियमित निगरानी के उद्देश्य का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया था।

प्रतिभागी राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना और निगरानी सेल (एनसीआरपीएमसी) के साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन भी अनियमित था। समीक्षा बैठकें आयोजित करने की कोई समयसीमा नहीं थी। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले छः वर्षों में, केवल आठ बैठकें हुईं और सभी बैठकें अगस्त 2015 और नवंबर 2016 के बीच आयोजित की गईं।

बोर्ड और मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा (जनवरी/अप्रैल 2018) कि बोर्ड की बैठक आयोजित करने के संबंध में लेखापरीक्षा का अवलोकन तथ्यात्मक है। एसएलएससी राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति है और बैठकें राज्यों के मुख्य सचिवों द्वारा आयोजित की जाती हैं। बोर्ड नियमित रूप से एसएलएससी की बैठक आयोजित करने में नियमितता की कमी के बारे में भाग लेने वाले राज्यों के साथ नियमित रूप से अनुसरण करता है। पीसी की बैठक के लिए समयसीमा के संबंध में एनसीआरपीबी नियम मौन है। आवश्यकता पड़ने पर पीसी की बैठक बुलाई जाती थी।

बोर्ड और मंत्रालय का उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि बोर्ड की बैठकों का आयोजन एनसीआरपीबी नियमावली 1985 के अनुसार वैधानिक आवश्यकता है और नियत बैठकों की अनियमितता/आयोजन नहीं कराने से आरपी-2021 के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, एसएलएससी की नियमित बैठक के अभाव में, आरपी 2021 में निहित नीतियों और प्रस्तावों के कार्यान्वयन के समन्वय और निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

(च) एनसीआर में प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (एनसीजेड) के परिसीमन में देरी

राजस्थान, हरियाणा और एनसीटीडी, वन क्षेत्रों, प्रमुख नदियों, अभयारण्यों, प्रमुख झीलों और जल निकायों की अरावली रिज के विस्तार जैसे पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले प्रमुख प्राकृतिक सुविधाओं, को आरपी 2021 में एनसीजेड के रूप में सीमांकित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरपी 2021 में एनसीजेड की सीमाएं अस्थायी थीं क्योंकि 1999 के उपग्रह इमेजरी के आधार पर ग्राउंड टूथिंग या एनसीजेड के परिसीमन अध्ययन के बिना (जुलाई 2005) तैयार किया गया था। केवल जब (मार्च 2014) एमओईएफ और सीसी द्वारा वन और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग और परिसीमन के बारे में चिंता व्यक्त की गई तो, बोर्ड ने अपनी विशेष बैठक में (अप्रैल 2014), राज्य के राजस्व रिकॉर्ड के सत्यापन के साथ-साथ विस्तृत ग्राउंड टूथिंग के आधार पर प्रत्येक प्रतिभागी राज्य द्वारा एनसीजेड के परिसीमन का निर्णय लिया। एनसीजेड के परिसीमन का कार्य तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना था, यानी अक्टूबर 2014 तक, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया है (सितंबर 2018)।

बोर्ड और मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी/अप्रैल 2018) में स्वीकार किया कि आरपी 2021 के अनुसार क्षेत्रीय भूमि का उपयोग राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) के माध्यम से 1999 के उपग्रह इमेजिंग के आधार पर तैयार किया गया था और सीमित ग्राउंड टूथिंग का संचालन किया गया था। ड्राफ्ट के मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्रों में आरपी 2021 को संशोधित किया गया था, जिसे एनसीजेड को अस्थायी रूप से चिह्नित किया गया था। क्षेत्रीय पैमाने की बाधाओं के कारण, एनसीजेड जैसी स्थानिक विशेषताओं की सटीक भूमि सीमा का सीमांकन आरपी 2021 में ठीक से नहीं किया जा सका। इसके अलावा, एनसीजेड के परिसीमन में देरी का मामला प्रतिभागी राज्यों के साथ खराब हो रहा है और बोर्ड के 37वीं बैठक (दिसंबर 2017) में राज्यों को तेजी लाने और समय पर परिसीमन को पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है।

बोर्ड और मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया। तथ्य यह है कि एनसीजेड के परिसीमन में देरी के कारण हरियाणा के एसआरपी और आरआरपी 2021 का पूरा नहीं होने और पर्यावरणीय मुद्दों के लिए प्रतिकूल प्रभाव के रूप में लक्षित हुआ है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार 1999 में ग्रीन एरिया 4.26 प्रतिशत से घटकर 2012 में 3.30 प्रतिशत हो गया है, जो आरपी 2021 में 10 प्रतिशत के प्रस्तावित ग्रीन एरिया से काफी कम है। बोर्ड के

विश्लेषण (जून 2015) के अनुसार आरपी 2021 (सितंबर 2005 में अधिसूचित) में एनसीजेड के दृष्टिगत आंकड़ों में गिरावट आई है। एनसीटीडी के संबंध में गिरावट 15.43 प्रतिशत थी, जबकि उत्तरप्रदेश के मामले में यह 43.88 प्रतिशत, हरियाणा के मामले में 25.97 प्रतिशत और राजस्थान के मामले में 11.18 प्रतिशत थी। जाहिर है, एनसीआर में एनसीजेड में लगातार गिरावट देखी गई है। एनसीजेड के परिसीमन का काम तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना था, यानी अक्टूबर 2014 तक; तथापि, चार साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, अभी तक इसे पूरा नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरपी 2021 में शामिल किये गये क्षेत्रीय भूमि उपयोग पर एक अध्याय में ग्रीन बफर और एनसीजेड के लिए महत्ता बताने के बावजूद, एनसीआर में हरे क्षेत्र और एनसीजेड में कोई सुधार नहीं हुआ है। वास्तव में, समय के साथ स्थिति और खराब हो गई है। बोर्ड की प्रभावशीलता में कमी इस प्रकार स्व-स्पष्ट है।

(छ) वित्तीय प्रबंधन ने आरपी के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित नहीं किया

आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय बोर्ड को योजना और गैर-योजना अनुदान प्रदान करता है। योजना अनुदान आरपी के कार्यान्वयन के लिए प्रदान किए जाते हैं जबकि गैर-योजना अनुदान वेतन और भत्ता और अन्य कार्यालयी व्यय के खर्च को पूरा करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। बोर्ड ने बॉन्ड्स के फ्लोटेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) और केएफडबल्यू² से ऋण के जरिए भी निधि जुटाई है। बोर्ड ने क्रमशः एडीबी और केएफडबल्यू से @ 1.67 प्रतिशत और 1.83 प्रतिशत की दर से धनराशि उधार ली। पूंजीगत परियोजनाओं के लिए प्रतिभागी राज्यों को 7 प्रतिशत से लेकर 8.5 प्रतिशत की दर से ऋण दिया जाता है। बोर्ड प्रतिभागी राज्य को दिए गए ऋण और सावधि जमा पर ब्याज अर्जित करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान, फिक्स्ड डिपॉजिट प्राप्तियों (एफडीआर) में धन के निवेश में लगातार वृद्धि हुई और परिणामस्वरूप प्रतिभागी राज्यों को ऋण देने में गिरावट आई। परिणामस्वरूप, 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान, एफडीआर से अर्जित ब्याज ₹98.08 करोड़ से बढ़कर ₹220.54 करोड़ हो गया, जबकि ऋण के संवितरण से अर्जित ब्याज ₹231.23 करोड़ से गिरकर ₹158.45 करोड़ हो गया। हालांकि, 2016-17 के दौरान ऋण के संवितरण में तेज वृद्धि हुई, जिसके कारण एफडीआर में कम धनराशि का निवेश किया गया।

² जर्मन विकास बैंक केएफडबल्यू, जर्मन सरकार का विकास बैंक है।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड के एफडब्ल्यू से प्राप्त ₹746 करोड़ के ऋण की कुल राशि को पूरी तरह से प्रतिभागी राज्यों और उसके कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को नहीं दे पाया। इसका कारण राज्यों की बैंकों की खरीद प्रक्रियाओं का पालन करने में असमर्थता, राज्यों द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा उपायों को अपनाने में समय का लगना था। नतीजतन, 2012 के बाद से, बोर्ड ने समझौते की शर्तों के अनुसार, केएफडब्ल्यू से अनिर्दिष्ट ऋण पर ₹6.01 करोड़ के प्रतिबद्धता शुल्क, अर्थात् अवितरित ऋण राशि पर 0.25 प्रतिशत का अप्रतिदाय शुल्क का भुगतान किया।

बोर्ड और मंत्रालय ने अपने उत्तर में (नवंबर 2017/जनवरी 2018) कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान प्रतिभागी राज्यों और केंद्र के चुनावों के लिए आचार संहिता के कारण ऋण संवितरण में कमी आई है। बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता की ब्याज दर की तुलना में बैंकों में निवेश के लिए प्रचलित दर एफडीआरअधिक थी। बोर्ड ने 2016-17 और 2017-18 में क्रमशः ₹1,654 करोड़ और ₹1550 करोड़ वितरित किए हैं और अधिशेष राशि घट कर ₹1,150 करोड़ रह गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों को दिए गए प्रतिबद्धता शुल्क के बारे में बोर्ड ने कहा कि यह ऋण समझौते का एक अभिन्न हिस्सा है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है, जिसमें आमतौर पर 3-4 साल की कार्यान्वयन अवधि होती है। एडीबी और केएफडब्ल्यू से ऋण प्रतिपूर्ति के आधार पर दावा किया जाता है। प्रतिबद्धता शुल्क एडीबी/केएफडब्ल्यू से अंतिम प्रतिपूर्ति तक भुगतान किया जाना है।

बोर्ड और मंत्रालय का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि सभी प्रतिभागी राज्यों में 4 साल तक लगातार आचार संहिता लागू नहीं रह सकती है और एक गैर-लाभकारी निकाय होने के नाते, बोर्ड का उद्देश्य ब्याज आय अर्जित करने के लिए सस्ते में ऋण जुटाने और उन्हें उच्च दर पर निवेश करने के बजाय विकास परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराना है। प्रतिबद्धता शुल्क के भुगतान के संबंध में, यह तथ्य बरकरार है कि बोर्ड ने पूर्ण ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त ढांचागत परियोजनाओं की पहचान नहीं की थी।

(ज) ऋण देने में अनियमितताएँ

अधिनियम के अनुसार, बोर्ड को केंद्रीय और राज्य योजना, धन और राजस्व के अन्य स्रोतों के माध्यम से एनसीआर में चयनित विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण की व्यवस्था करना और उनकी देखरेख करना है। बोर्ड भूमि विकास, परिवहन, सीवरेज, जल निकासी, पानी, बिजली उत्पादन, संचारण और वितरण आदि से संबंधित परियोजनाओं के

लिए धन प्रदान करता है। लेखापरीक्षा के लिए 27 पूर्ण (82 में से) और 17 चल रही (51 में से) परियोजनाओं का चयन किया और इस संबंध में निम्नलिखित देखा गया:

- दो परियोजनाओं में, बोर्ड ने ऋण स्वीकृति पत्र के नियमों और शर्तों को पूरा किए बिना ऋण जारी किया। हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण (एचपीडीए) के आनंद विहार आवास योजना के मामले में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण किया जाना था, जैसा कि निर्धारित किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप, बड़े नाले में अनुपचारित सीवरेज का निर्वहन किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के विरुद्ध था। हरियाणा के मेवात में "मेडिकल कॉलेज ऑफ़ टीचिंग हॉस्पिटल के निर्माण" के मामले में, पर्यावरणीय मंजूरी और भूमि के उपयोग के रूपांतरण आदि के लंबित होने के बावजूद बोर्ड ने (18 नवंबर 2010) ₹113.33 करोड़ के ऋण राशि की दो किस्तें जारी कीं। जो परियोजना मई 2011 तक पूरी होनी थी, वह मई 2015 में पूरी हुई।
- आईए के साथ भूमि की अनुपलब्धता के बावजूद दो परियोजनाओं में धनराशि जारी की गई। "अलवर जलापूर्ति उन्नयन परियोजना" और "नलहर मेडिकल कॉलेज और नूह शहर के लिए जल आपूर्ति योजना" के मामलों में, क्रमशः ₹43.72 करोड़ और ₹90.13 करोड़ का ऋण जारी करने से पहले बोर्ड ने पूर्व में अपेक्षित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की। जिन परियोजनाओं को क्रमशः नवंबर 2016 और अगस्त 2016 तक पूरा किया जाना था, उन्हें अभी तक (जून 2019) पूरा किया जाना बाकी है।
- दो परियोजनाओं में, बोर्ड के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए समझौते/प्रासंगिक खंडों की अनुपस्थिति थी। "रेवाड़ी में पाँच सड़कों का चार लेन का करने के माध्यम से सुधार" के मामले में, जो परियोजना नवंबर 2010 तक पूरी होनी थी, फरवरी 2016 में पूरी की गई हालांकि, कोई एलडी नहीं लगाया गया था क्योंकि ऋण समझौते में ऐसा कोई खंड नहीं था। सराय काले खां और आनंद विहार में "मल्टी मोडल ट्रांजिट सेंटर (एमएमटीसी) परियोजनाओं" के मामले में, बोर्ड ने जीएनसीटीडी के साथ कोई समझौता नहीं किया था और यह परियोजना असफल थी, जिसके कारण एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) को अवितरित ऋण पर प्रतिवद्वता शुल्क का भुगतान (₹69.96 लाख) किया गया जो जीएनसीटीडी से वसूल नहीं किया जा सका।

- एनसीटीडी में शाहदरा दक्षिण में कड़कड़ूमा इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र में बहु-मंजिला कार्यालय भवन के निर्माण के एक मामले में, बोर्ड ने परियोजना कार्यालय भवन का (₹76.24 करोड़) वित्त पोषण किया, जो आरपी 2021 के किसी भी घटक के तहत कवर नहीं किया गया था। बोर्ड ने सितंबर 2014 में ₹20 करोड़ जारी किए और परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि सितंबर 2016 थी, लेकिन काम अक्टूबर 2017 के महीने में प्रदान किया गया था और अभी भी पूरा नहीं किया गया है (जून 2019)।

परियोजनाओं की देरी और अपूर्णता न केवल बोर्ड द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के खराब तरीके को चिन्हित करती है बल्कि आम जनता को परिकल्पित लाभों से भी वंचित करती है। लेखापरीक्षा परिणाम का विवरण **अनुलग्नक-III** में है।

4.1.7 निष्कर्ष

बोर्ड के उद्देश्यों में आरपी के कार्यान्वयन में समन्वय और निगरानी शामिल हैं; और क्षेत्र में भूमि के उपयोग और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सामंजस्यपूर्ण नीतियों का विकास करना ताकि क्षेत्र के किसी भी प्रकार के अव्यवस्थित विकास से बचा जा सके। लेखापरीक्षा ने देखा कि बोर्ड दोनों उद्देश्यों में से किसी एक को भी पूरा करने में असमर्थ था।

क्षेत्रीय विकास के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण बोर्ड द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि सभी प्रतिभागी राज्यों द्वारा एसआरपी को समय पर अंतिम रूप नहीं दिया गया था। उप क्षेत्रों में विभिन्न शहरों के मास्टर/विकास योजना के अनुमोदन को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

हालांकि बोर्ड ने आरपी 2021 में भूमि उपयोग नीति निर्धारित की है, लेकिन इसके पास इन नीतियों को लागू करने के लिए संबंधित शक्तियां नहीं हैं। कोर्ट के निर्देश के बावजूद बोर्ड भूमि-उपयोग के बदलाव को मंजूरी नहीं दे रहा था।

ऋण संवितरण प्रक्रिया बहुत सक्रिय नहीं थी क्योंकि अधिकांश धन एफडीआर के रूप में जमा किए गए थे। ऋणों को वितरित करते समय, बोर्ड आवश्यक शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित नहीं कर सका जैसा कि रिपोर्ट में सामने आया है। इस प्रकार, बोर्ड एनसीआर के सामंजस्यपूर्ण और संतुलित विकास को सुनिश्चित करने में प्रभावी भूमिका नहीं निभा सका।

4.1.8 अनुशंसाएँ

- बोर्ड को प्रत्येक पांच वर्ष में, जैसा कि अनिवार्य है एक बार आरपी की समीक्षा करनी चाहिए। प्रभावी और एकीकृत योजना के लिए, पदानुक्रम में सभी योजनाएं एक निर्धारित समय सीमा में तैयार की जानी चाहिए और बोर्ड को योजनाओं को बेहतर एकीकरण के लिए मास्टर/विकास योजनाओं की समीक्षा, जांच और अनुमोदन करना चाहिए।
- आरपी के उल्लंघन की प्रभावी निगरानी के लिए, एक स्वतंत्र और विश्वसनीय तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और बोर्ड द्वारा क्षेत्र की सभी विकास परियोजनाओं की निगरानी की जा सकती है।
- आरपी की नीतियों और प्रस्तावों के कार्यान्वयन के बेहतर समन्वय और निगरानी के लिए, बोर्ड की वैधानिक बैठकों और सभी सक्रिय गठित समितियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए और एनसीआरपीएमसी को अधिक प्रदर्शनोन्मुख बनाया जा सकता है।
- प्रत्येक प्रतिभागी राज्य द्वारा एनसीजेड का परिसीमन, राज्य के राजस्व रिकॉर्ड के सत्यापन के साथ-साथ विस्तृत ग्राउंड ड्रिंग के आधार पर समयबद्ध तरीके से चलाया जा सकता है।
- बोर्ड को उपलब्ध धनराशि का उपयोग प्रतिभागी राज्यों को ऋण देने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए न कि एफडीआर में निवेश के लिए।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

4.2 लोकसभा सचिवालय (एलएसएस), आर. के. पुरम, नई दिल्ली के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण से संबंधित कार्य को लागू करने में कमियाँ

सीपीडब्ल्यूडी ने कार्य के निष्पादन में 29 महीने से अधिक की देरी होने के कारण जुर्माना वसूलने की कोई ठोस कार्रवाई करने के स्थान पर कार्य को विभिन्न समयों पर अतिरिक्त समय प्रदान किया। विलम्ब का एक बड़ा हिस्सा सीपीडब्ल्यूडी की अपनी खामियों के कारण भी था।

सेक्टर-दो, आर. के. पुरम, नई दिल्ली में लोकसभा सचिवालय (एलएसएस) के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए 7 अप्रैल 2008 को आधारशिला समारोह आयोजित किया गया। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने अक्टूबर 2009 में ₹76.39 करोड़ की राशि की परियोजना का प्रारंभिक अनुमान (पीई)

प्रस्तुत किया, जिसमें परियोजना पूर्ण होने की अवधि को 24 महीने बताया गया। पीई में प्रत्येक टाईप-II और III के 32 क्वार्टर, टाईप-IV के 72 क्वार्टर तथा सेवकों के क्वार्टरों आदि के साथ-साथ टाईप-V के 48 क्वार्टर के निर्माण के अनुमान को शामिल किया गया था।

एलएसएस द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति (एएण्डईएस) 18 मार्च 2010 को दी गई थी और मुख्य कार्य के लिए समग्र निविदा फरवरी 2011 में आमंत्रित की गई थी जिसमें सिविल के साथ-साथ विद्युत भाग शामिल हैं। बोली पूर्व सम्मेलन 3 मार्च 2011 को आयोजित किया गया था और वित्तीय बोलियां 4 मई 2011 को खोली गई थीं। जून 2011 में, मुख्य सिविल निर्माण कार्य का टेंडर मेसर्स विनर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को उनके द्वारा बताई गई ₹48.05 करोड़ की निविदा राशि (₹43.93 करोड़ की अनुमानित लागत से 9.38 प्रतिशत ऊपर) पर प्रदान किया गया। प्रारंभ और पूर्ण होने की निर्धारित तिथि क्रमशः 7 जुलाई 2011 और 06 नवंबर 2012 थी।

मुख्य निर्माण कार्य के अलावा, सिविल के तहत 31 करारों और विद्युत कार्यों से संबंधित 15 करारों को भी सीपीडब्ल्यूडी द्वारा उपरोक्त परियोजना के लिए किया गया। इनमें से सिविल के छः कार्यों और विद्युत के पांच कार्यों को लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत जांच के लिए चुना गया था।

अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

4.2.1 सिविल निर्माण कार्य में लक्ष्य की प्राप्ति में देरी

मुख्य सिविल निर्माण कार्य 7 जुलाई, 2011 को शुरू किया गया था और दस चरणों में विभाजित किया गया जिसमें अंतिम लक्ष्य को कार्य की शुरुआत की निर्धारित तिथि अर्थात् 6 नवम्बर 2012 से 16 महीने के भीतर पूरा करने का प्रस्ताव दिया गया था।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि कार्य में काफी देरी थी और दिए गए लक्ष्यों में से केवल दो लक्ष्य कार्य शुरू होने से 6.5 महीने के भीतर ठेकेदार द्वारा समय पर प्राप्त किए गए और सीपीडब्ल्यूडी ने 15 मई 2012 को लक्ष्यों को फिर से पुनर्निर्धारित किया जिसमें दसवें लक्ष्य को 6 नवंबर 2012 से 6 मार्च 2013 किया गया। हालाँकि, मार्च 2013 का संशोधित लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया। सीपीडब्ल्यूडी जुर्माना लगाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई किए बगैर, ठेकेदार को समय बढ़ाने की अनुमति प्रदान करता रहा। अंतिम विस्तार 30 अप्रैल 2015 तक दिया गया। कार्य प्रारंभिक निर्धारित समापन तिथि से 29 महीने से अधिक की देरी से 24 अप्रैल 2015 को पूरा किया गया।

ठेकेदार को सीपीडब्ल्यूडी के पत्राचार के अनुसार, परियोजना के निष्पादन में 899 दिनों की कुल देरी थी। इन 899 दिनों में, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा 303 दिनों (33 प्रतिशत) की देरी को 'उचित' करार दिया गया, जो दर्शाता है कि यह देरी सीपीडब्ल्यूडी की ओर से थी। सीपीडब्ल्यूडी के अड़चन रजिस्टर में दर्ज किए गये विभिन्न विलंब जो कि सीपीडब्ल्यूडी के कारण थे जैसे कि 7 जुलाई 2011 से 22 फरवरी 2012 तक बेसमेंट ब्लॉक की संरचनात्मक एवं वास्तुचित्रों की उपलब्धता न होना, 15 जुलाई 2011 से 8 सितंबर 2011 तक टाईप-V क्वार्टरों के लिए पाईलों के उचित नक्शों की उपलब्धता न होना, 1 अक्टूबर 2011 से 4 नवम्बर 2011 तक टाईप V/III/II क्वार्टरों के लिए पाइलिंग कैप सुदृढीकरण विवरण की अनुपलब्धता, 12 नवम्बर 2012 से 13 फरवरी 2013 तक बजट की अनुपलब्धता आदि।

मुख्य सिविल निर्माण कार्य के लिए किए गए करार के खंड 2 के अनुसार यदि ठेकेदार खंड 5 में वर्णित आवश्यक प्रगति को बनाए रखने में या अनुबंध पूरा होने की तारीख पर या उससे पहले या पूर्णता की विस्तारित तिथि पर या उससे पहले साइट को पूरा करने में असफल रहता है, तो ठेकेदार 1.50 प्रतिशत प्रति माह की दर से मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसकी सीमा कार्य के निविदा मूल्य के 10 प्रतिशत तक होगी। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा ठेकेदार पर ₹4.81 करोड़ का जुर्माना लगाया गया जिसे कि मध्यस्थ ने मुख्य रूप से इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया था कि खंड 2 का संचालन केवल तभी संभव है, जब खंड 5 के तहत बढ़ाई गई तिथि पर भी कार्य अधूरा रहे। अतःजब खंड 5 के तहत सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दिए गए अतिरिक्त समय में कार्य पूर्ण किया गया था, तो खंड 2 के तहत कोई मुआवजा नहीं लगाया जा सकता और इसलिए, खंड 2 के तहत मुआवजा देना अवैध माना गया।

अभिलेखों की जाँच ने दर्शाया कि यह स्पष्ट होने के तुरन्त बाद कि ठेकेदार लक्ष्यों/परिशोधित लक्ष्योंको प्राप्त करने में असमर्थ था, करार के खंड 2 के अन्तर्गत जुर्माना लगाने के स्थान पर सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जुर्माना करार के खंड 2 के अन्तर्गत कार्य समाप्त होने तथा भवन परिसर के उद्घाटन के उपरान्त लगाया गया। सीपीडब्ल्यूडी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और 30 अप्रैल 2015 तक विस्तार के लिए अनुमति प्रदान करते रहे।

उत्तर में (जून 2017) सीपीडब्ल्यूडी ने कहा कि कार्य 6 नवंबर 2012 तक पूरा होना था, लेकिन ठेकेदार की खराब कारीगरी, कुप्रबंधन, अपर्याप्त मशीनरी, श्रम सामग्री आदि के कारण काम की प्रगति को बनाए रखने में असफल रहा। सीपीडब्ल्यूडी ने आगे कहा कि सिविल कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि 6 नवम्बर 2012 के विपरीत कार्य

24 अप्रैल 2015 को पूरा हुआ। करार के खंड 2 के तहत ₹4.81 करोड़ के मुआवजे के साथ समय का विस्तार प्रदान किया गया था।

सीपीडब्ल्यूडी ने आगे कहा (नवंबर 2018) कि ग्राहक विभाग और साइट के हालात के कारण बाधाएँ थीं। उसने आगे कहा है कि नाले को ढंकने के लिए डिजाइन और ड्राइंग कार्य में देरी का मुख्य कारण था।

सीपीडब्ल्यूडी ने यह भी बताया (जुलाई 2019) कि उसने ₹4.81 करोड़ की धनराशि के मुआवजे को लगाने की आवश्यक कार्यवाही की। उसने मध्यस्त के निर्णय को चुनौती देने के लिए कानूनी राय ली। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों ने राय दी कि मध्यस्थ का निर्णय चुनौती पूर्ण नहीं है अतः रोकी हुई धनराशि को वापस करना पड़ा।

सीपीडब्ल्यूडी के उत्तर को इस तथ्य के सापेक्ष में देखने की आवश्यकता है कि करार के खंड 2 के तहत जुर्माना परियोजना के उद्घाटन के बाद ही लगाया गया था जो कि माननीय मध्यस्थ द्वारा उनके निर्णय में अस्वीकृत कर दिया गया जैसा कि ऊपर वर्णित है। इसके अतिरिक्त मध्यस्थ का निर्णय चुनौती पूर्ण नहीं पाया गया। जहां तक नालों को ढंकने के कारण होने वाली देरी की बात थी तो यह कार्य अप्रैल 2010³ में इस परियोजना के शुरू होने से बहुत पहले ही पूरा हो गया था।

4.2.2 संयुक्त निविदा मानदंडों का गैर-अनुपालन

सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तिका 2010 के पैरा 15.4 के अनुसार संयुक्त निविदा प्रणाली सभी प्रकार के निर्माण कार्य (लागत से स्वतंत्र) के लिए प्रयुक्त की जानी थी जिसमें सभी आंतरिक विद्युत स्थापना के घटक और कुछ अन्य आंतरिक कार्य शामिल होंगे। ₹10 करोड़ तक के लागत के कार्यों के लिए मामले के आधार और आंचलिक मुख्य प्रभारी के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) अभियंता की सिफारिशों पर संयुक्त निविदा की प्रणाली से हटा सकते हैं। संयुक्त निविदा की प्रणाली का पालन सभी प्रकार के भवन निर्माण कार्यों के लिए जाना है जिनकी लागत ₹10 करोड़ से अधिक है।

लेखापरीक्षा जांच ने दर्शाया कि सीपीडब्ल्यूडी ने 2011-12 से 2015-16 के दौरान ₹76.39 करोड़ की राशि के टाइप II से V क्वार्टर के लिए एए/ईएस को 18 सिविल कार्यों और 15 विद्युत कार्यों में विभाजित किया था। हालांकि इनमें से कई कार्यों को जैसे मॉड्यूलर किचन, स्टील कप बोर्ड्स, स्टेनलेस स्टील रेलिंग को ठीक करने तथा

³ हालांकि इस परियोजना को जून, 2011 में दिया गया था, लेकिन इससे पहले भी कुछ पूर्वनिर्माण गतिविधियां चल रही थीं।

शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रेत की फर्श टाईलें आदि को मुख्य कार्य के भीतर शामिल किया जा सकता था।

कार्यों का विभाजन दर्शाता है कि कार्य की पूरी योजना को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा को भी ऐसे कोई अभिलेख नहीं मिले, जिसमें कार्य विभाजन के लिए सक्षम अधिकारी (एडीजी) की मंजूरी ली गई हो। कार्य के बंटवारे से न केवल कार्य नियमावली के कोडल प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, बल्कि कार्य का निष्पादन भी देरी से हुआ होगा क्योंकि इन कार्यों की समय सीमा अतिव्याप्त थीं और किसी एक कार्य का आरंभ होना दूसरे संबंधित कार्य के पूरा होने पर निर्भर था।

उत्तर में (जून 2017 और नवंबर 2018) सीपीडब्ल्यूडी ने कहा कि विभाग ने उन कार्यों को कार्यान्वित किया जो करार के दायरे में नहीं थे और साइट की आवश्यकता और ग्राहक विभाग (एलएसएस) की आवश्यकता/अनुमोदन के अनुसार थे। कार्यों का कोई विभाजन नहीं किया गया था और सभी कार्यों को निविदाएँ आमंत्रित करके दिया गया और किसी भी ठेकेदार को कोई अनुचित लाभ नहीं दिया गया था।

सीपीडब्ल्यूडी ने यह भी बताया (जुलाई 2019) कि ठेकेदार कार्य की प्रगति को प्राप्त करने में समर्थ नहीं था। विभाग द्वारा अन्य एजेंसियों के माध्यम से प्रारंभिक ठेकेदार के जोखिम एवं खर्च पर कार्य को करवाने के लिए कदम उठाये गये। सीमादीवार का निर्माण नौकरों के आवास में माडुलर रसोई एवं अयप्पा मन्दिर के पीछे नाले के शेष हिस्से को ढकने का कार्य अलग-अलग एए एवं ईएस के माध्यम से किया गया।

सीपीडब्ल्यूडी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी स्वीकृतियां या तो सीपीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक अनुमान के अनुसार ग्राहक विभाग (एलएसएस) द्वारा या सीपीडब्ल्यूडी द्वारा मंगाई गई आवश्यकता के आधार पर दी गई होंगी। सीपीडब्ल्यूडी ने सभी आवश्यक खंडों को शामिल नहीं किया और बार-बार निविदाएं मंगाईं। विद्युत कार्यों के संबंध में भी, विद्युत कार्य के लिए 15 करार एक समग्र निविदा में किए जा सकते थे। आगे मुख्य ठेकेदार के जोखिम एवं खर्च पर कार्यन्वयन का कम्पोसिट निविदा के अनुकरण न होने से कोई सम्बंध नहीं है। लेखापरीक्षा ने केवल 18 सिविल अनुबंधों में, जो कि एए एवं ईएस (₹76.39 करोड़) के अन्तर्गत किये गये, कम्पोसिट निविदा के अपालना के विषय को रेखांकित किया है। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जवाब में बताये गये कार्य/अनुबन्ध 18 सिविल अनुबन्धों से अलग थे।

4.2.3 मुख्य अनुबंध में शामिल किए जाने के स्थान पर अतिरिक्त मदों के रूप में कार्य निष्पादन

सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तिका 2010 के पैरा 4.2.1(2) के अनुसार, सभी कार्यों को पूरा करने के लिए विस्तृत अनुमान व्यापक रूप से तैयार किया जाना चाहिए। हालांकि, अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि कई मदों, जिन्हें निर्माण के लिए मुख्य अनुबंध में शामिल किया जाना चाहिए था, को ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त मदों के रूप में निष्पादित किया गया, जिससे अभिकरण को बाजार दरों पर इन अतिरिक्त मदों के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करने की अनुमति देकर अनुचित लाभ पहुँचाया गया। प्रमुख अतिरिक्त मदों का विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

विभिन्न अतिरिक्त मदों से संबंधित कार्य जैसे कि प्लास्टर की गई दीवार की सतह पर सफेद सीमेंट आधारित पुट्टी उपलब्ध कराना और लगाना, खिड़की के फ्रेमों में आवश्यक प्रतिरूप की एमएसगिल प्रदान करना और उसे लगाना, स्वीकृत स्टील प्राइमर के साथ पूर्ण प्राइमिंग कोट, आरसी सी की दीवारों, फर्शों और छतों के स्लैब आदि पर कोर कटिंग को पूरा करने के लिए बाजार दरों पर ठेकेदार को कुल ₹1.65 करोड़ का भुगतान किया गया।

सीपीडब्ल्यूडी ने उत्तर दिया (जून 2017 और नवम्बर 2018) कि अनुमति प्रदान किए गए अतिरिक्त मदों को आवश्यक रूप से साइट की आवश्यकता के अनुसार निष्पादित किया जाना था तथा इन्हें करार के खंड 12 के प्रावधानों के तहत निष्पादित किया गया था, जो अतिरिक्त मदों (नए मदों) के बाजार दरों पर निष्पादन से संबन्धित है। इन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था और अतिरिक्त मदों पर किया गया व्यय एए एवं ईएस के अन्तर्गत था।

सीपीडब्ल्यूडी ने यह भी बताया (जुलाई 2019) कि कार्य का आकलन सदैव एक मोटा-मोटा अनुमान है। वास्तविक कार्यस्थल की दशा अनुमान से भिन्न होती है अतः अतिरिक्त मदों की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

सीपीडब्ल्यूडी के उत्तर को इस तथ्य के सापेक्ष में देखने की आवश्यकता है कि अनुलग्नक-IV में उल्लिखित कार्यों की प्रकृति से पता चलता है कि इन्हें मुख्य करार में बहुत अच्छी तरह से शामिल किया जा सकता था और इस प्रकार बाजार दर पर इन वस्तुओं के भुगतान से बचा जा सकता था।

4.2.4 ठेकेदार द्वारा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के लिए जुर्माने का आरोपण नहीं किया जाना

करार के सिविल कार्यों के लिए सामान्य शर्तों के पैरा 16(v) के अनुसार, ठेकेदार को प्रत्येक माह के 5वें दिन प्रभारी अभियंता को पिछले माह के दौरान किए गए कार्यों के लिए बेसलाइन प्रोग्राम के साथ एमएस प्रोजेक्ट में प्रगति प्रतिवेदन देना था। उपरोक्त प्रोग्राम प्रस्तुत करने में देरी के मामले में ₹2,000 प्रतिदिन के आधार पर वसूली की जानी थी।

हालांकि, अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि कार्य शुरू होने से (जुलाई 2011) वास्तविक कार्य पूरा होने (अप्रैल 2015) तक, जुलाई 2011 के माह के अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा एमएस परियोजना में कोई भी मासिक प्रगति प्रतिवेदन सीपीडब्ल्यूडी को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे जुलाई 2011 में प्रस्तुत किया गया था। 1118 दिनों⁴ की देरी थी, जो ₹22,36,000 (₹2,000 प्रतिदिन) का जुर्माना आकर्षित करती है।

ठेकेदार द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना सीपीडब्ल्यूडी की ओर से खराब निगरानी को दर्शाता है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि परियोजना के पूरा होने में कुल 899 दिनों का विलम्ब था।

सीपीडब्ल्यूडी ने उत्तर में (जून 2017 और नवंबर 2018) कहा कि उपलब्ध अभिलेखों से प्रतीत होता है कि ठेकेदार द्वारा एमएस प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम चार्ट समय-समय पर प्रस्तुत किया गया था जैसा कि अनुबंध में प्रावधान था। कार्य को पूर्ण करने में देरी के कारण जुर्माना निविदा की राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत जो कि ₹4.81 करोड़ होता है, करार के खण्ड 2 के तहत लगाया गया और अंतिम बिल से वसूल किया गया। अपने हाल के उत्तर में (जून 2019) सीपीडब्ल्यूडी ने बताया कि इस मण्डल में उपलब्ध रिकार्ड में इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं खोजी जा सकी और इस जानकारी को 'शून्य' समझा जाय।

सीपीडब्ल्यूडी के उत्तरों से स्पष्ट है कि यह दावा कि ठेकेदार ने रिपोर्ट को अनुबंध के अनुसार समय-समय पर उपलब्ध कराया था सत्य नहीं है एवं यह एक अतिरिक्त प्रमाण था कि सीपीडब्ल्यूडी ने इन दस्तावेजों की प्राप्ति की निगरानी नहीं की।

आगे उत्तर (जुलाई 2019) में सीपीडब्ल्यूडी ने बताया कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार जब भी प्रगति रिपोर्ट आवश्यक फार्मेट में पेश की जाती है, तब दण्ड नहीं लगाया जा सकता।

⁴ सितम्बर 2011 से अप्रैल 2015 तक प्रत्येक महीने में 5 तारीख के बाद के दिनों की संख्या के अनुसार।

सीपीडब्ल्यूडी का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि उनके उत्तर के समर्थन में दिए गए दस्तावेज़ ने दर्शाया कि ये केवल कार्य पूरा करने के लिए अनुमानित समय अवधि का संकेत देते हैं और इसमें की गई प्रगति का कोई विवरण शामिल नहीं करते हैं। करार खंड के अनुरूप नहीं होने के अलावा, ठेकेदार द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन जमा न करना भी सीपीडब्ल्यूडी की ओर से उचित निगरानी की कमी को इंगित करता है। ₹4.81 करोड़ का जुर्माना लगाने के संबंध में यह पहले ही मध्यस्थ द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है जैसा कि पैरा 4.2.1 में पहले ही निर्दिष्ट किया गया है और सीपीडब्ल्यूडी के कानूनी विशेषज्ञों ने भी पाया कि मध्यस्थ का दण्ड न लगाने का निर्णय चुनौतीपूर्ण नहीं था। जैसा कि ठेकेदार द्वारा केवल जुलाई 2011 के लिए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी शेष महीनों (अगस्त 2011 से अप्रैल 2015) के लिए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दण्ड लगाया जाना चाहिए था।

4.2.5 साइट निर्बाधन के बिना विद्युत मंडल द्वारा निविदाओं को प्रदान करना

“छिड़काव एवं डाउन-कॉमर प्रणाली उपलब्ध करने” कार्य के लिए निविदा मैसर्स साई फायर अप्लायंसेज प्रा लि को 11 मार्च, 2013 को ₹80.22 लाख की निविदा लागत पर प्रदान की गई थी। साइट आर्डर बुक के अनुसार, सीपीडब्ल्यूडी ने 18 मार्च, 2013 को इस स्थल को ठेकेदार को सौंप दिया था और ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए छः माह की अवधि दी गई थी जिसकी समाप्ति की निर्धारित तिथि 17 सितंबर, 2013 थी। सीपीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार को 27 जून, 2013 और 19 अक्टूबर, 2013 को साइट पर सामग्री की आपूर्ति करने का निर्देश दिया और इस सामग्री के लिए ठेकेदार को पहले और दूसरे रनिंग बिल के माध्यम से ₹12.03 लाख (8 जुलाई 2013) और ₹10.33 लाख (31 अगस्त 2013) का आंशिक भुगतान किया।

अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि स्थल पर कार्य 16 नवम्बर, 2013 को सात माह की देरी से शुरू हो सका और समाप्ति की निर्धारित तिथि (सितम्बर 2013) के 15 माह के पश्चात अर्थात् 16 दिसम्बर 2014 को पूरा किया जा सका। लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि कार्य समय पर आरंभ नहीं हो सका क्योंकि 459 दिनों (पांच अवधि में) की बाधा उत्पन्न हुई जिसके कारण स्थल पर कार्य करने में रूकावट आई। ये बाधाएं मुख्य रूप से सिविल कार्य के ठेकेदार के कार्य को समय पर पूरा नहीं कर पाने की वजह से हुईं।

इस प्रकार, बाधा मुक्त स्थल उपलब्ध नहीं होने के बाद भी, विद्युत कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निविदा आमंत्रित की गई एवं प्रदान की गई और ठेकेदार को सामग्री को उस स्थल तक लाने के लिए ₹22.36 लाख (₹12.03 लाख और ₹10.33 लाख) का

भुगतान किया गया, जो कि पूर्णतः उपलब्ध नहीं थी। वित्तीय रूप से अविवेकपूर्ण होने के अलावा, इसने सीपीडब्ल्यूडी के सिविल और विद्युत मण्डलों के मध्य समन्वय की कमी भी दर्शाई।

सीपीडब्ल्यूडी ने उत्तर दिया (जून 2017 और नवंबर 2018) कि ठेकेदार अग्रिमन सामग्री को साइट पर लाया लेकिन साइट उपलब्ध न होने के कारण उपकरण को संस्थापित नहीं किया जा सका और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा ठेकेदार को सामग्रियों की अधिप्राप्ति व उसे संस्थापन हेतु साइट तक लाने के लिए भुगतान कर दिया गया। सीपीडब्ल्यूडी ने यह भी बताया (जुलाई 2019) कि कार्य के लिए निविदा बाधामुक्त कार्यस्थल के पूर्वानुमान के अनुसार आमंत्रित की गई थी।

सीपीडब्ल्यूडी ने यह स्वीकार किया कि सिविल ठेकेदार कार्य की प्रगति को बनाए रखने में विफल रहा। इस प्रकार, साइट की उपलब्धता के बिना बहुत पहले ही विद्युत मंडल द्वारा निविदाओं का ठेका दिया जाना सही नहीं था।

अतः यह पाया गया है कि कार्य जो कि योजनानुसार 16 माह में पूर्ण होना था पूर्ण होने में 45 माह से भी अधिक लगे। सीपीडब्ल्यूडी के दावों के बावजूद कि विलम्ब ठेकेदार पर आरोपित था यह ठेकेदार से कोई दण्ड नहीं वसूल सका। सीपीडब्ल्यूडी पर आरोपित कमियों में ड्राइंग को विलम्ब से उपलब्ध कराना, सीपीडब्ल्यूडी नियमावली के विभिन्न शर्तों की अनुपालना न करना, कार्य का अपूर्ण निरीक्षण करना, अन्य मण्डलों के कार्यों में समन्वय की कमी इत्यादि शामिल थे। अतः सीपीडब्ल्यूडी को कार्यन्वयन एवं निरीक्षण के तंत्र में सुधार करना चाहिये जिससे ठेकेदार के द्वारा विलम्ब/ढीलापन में दण्ड लगाने में समयानुसार कार्यवाही की जा सके और भविष्य में इस प्रकार के विलम्ब की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मध्य मार्ग सुधार किया जा सके।

4.2.6 अनुशंसाएँ

- बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए साइट क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद निविदा मंगाई/दी जानी चाहिए।
- कम्पोजिट टेंडरिंग के बारे में सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के प्रावधानों को देरी और अतिव्यापी समयसीमा से बचने के लिए सावधानी से पालन किया जाना चाहिए।
- बाजार दरों पर अतिरिक्त भुगतान से बचने के लिए विस्तृत व्यापक अनुमान तैयार करने से संबंधित सीपीडब्ल्यूडी प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

- ठेकेदारों के काम की निगरानी लगातार की जानी चाहिए और जहाँ भी लागू हो, जुर्माना वसूलने की कार्रवाई समय से शुरू की जानी चाहिए।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2018 में सूचित किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित था। (सितम्बर 2019)

4.3 संविदाकर्ता को ₹1.36 करोड़ का अधिक भुगतान

सीमेंट और स्टील पर वृद्धि परिकल्पित करने के लिए गलत कीमत सूचकांक अपनाने के कारण संविदाकर्ता को ₹1.36 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) निर्माण कार्य पुस्तिका के खंड 10 सीए में कार्य से सम्बन्धित विभिन्न सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि अथवा कमी आने के कारण संविदा की धनराशि को परिवर्तित करने का प्रावधान था। यह खंड मँहगी सामग्रियों, जो कि कार्य का बड़ा हिस्सा बनाती हैं, की कीमतों में हुए परिवर्तन के कारण कार्य की लागत में समायोजन करने के लिए लागू होता है। निविदा आमंत्रित करने वाला प्राधिकारी सीमेंट, स्टील रीइंफोर्समेंटबार, संरचनात्मक स्टील आदि जैसी सामग्रियों को इस खंड के दायरे में लाने पर विचार कर सकता था।

महानिदेशक निर्माण कार्य (डीजीडब्ल्यू), सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन (ओएम) दिनांक 14 अक्टूबर 2008 के अनुसार सीमेंट, स्टील रीइंफोर्समेंट बार तथा संरचनात्मक स्टील की कीमतों में वृद्धि परिकल्पित करने के लिए आधार कीमत डीजीडब्ल्यू द्वारा जारी किया गया कीमत सूचकांक होगा जो कि अतिरिक्त समय, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए निविदाओं की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक वैध होगी। इसके अलावा, डीजीडब्ल्यू द्वारा जारी किए दिनांक 31 दिसम्बर 2008 के ओएम में निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के अनुमोदन के समय खंड 10 सीए के अन्तर्गत सभी सामग्रियों की आधार कीमत के उल्लेख को अनिवार्य कर दिया गया।

सीपीडब्ल्यूडी ने देव नगर, नई दिल्ली में 'आन्तरिक जल आपूर्ति, स्वच्छता उपकरण संस्थापन तथा आन्तरिक विद्युत कार्य को सम्मिलित करते हुए '400 टाइप III मकानों का निर्माण' कार्य के लिए एक एनआईटी (नवम्बर 2008) अनुमोदित की। वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के बाद, सक्षम प्राधिकारी द्वारा (जनवरी 2009) तीन फर्मों को सफल घोषित किया गया। फर्मों को संशोधित वित्तीय बोलियों को प्रस्तुत करने को कहा गया क्योंकि पहले की वित्तीय बोलियाँ, जो कि खोली नहीं गई थी, दिनांक 31 दिसम्बर 2008 को जारी किए गए ओएम से पूर्व प्राप्त हुई थी। संशोधित वित्तीय बोलियों को

जमा करने की अन्तिम तिथि 7 फरवरी 2009 थी। सबसे कम बोली लगाने वाले मैसर्स यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से साइट का कब्जा लेने तथा कार्य प्रारम्भ करने का (अगस्त 2009) अनुरोध किया गया। वार्ता द्वारा परियोजना की लागत ₹72.20 करोड़ तय हुई। कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 18 अगस्त 2011 थी। इस एनआईटी में लागत वृद्धि खंड 10 सीए के अन्तर्गत थी।

लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाँच ने दर्शाया कि दिनांक 31 दिसम्बर 2008 का ओएम जारी होने के पश्चात् इस कार्य के लिए एक संशोधित एनआईटी (21 जनवरी 2009) जारी की गई। इस संशोधित एनआईटी में सीमेंट, स्टीलरीइंफोर्समेंट बार तथा संरचनात्मक स्टील के लिए वृद्धि खंड के दायरे में आने वाली वस्तुओं की आधार कीमतों का विशिष्ट रूप से वर्णन था।

लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाँच ने दर्शाया कि जबकि संशोधित एनआईटी में वर्णित आधार कीमतें 12 जनवरी 2009 को डीजीडब्ल्यू द्वारा जारी की गई आधार कीमतों के अनुरूप थीं जो कि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि तक लागू थीं जबकि वृद्धि परिकलित करते समय लिए गए कीमत सूचकांक वह थे जो कि 13 फरवरी 2009 को अर्थात् निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद लागू हुए थे। इन आधार कीमतों के लिए डीजीडब्ल्यू द्वारा जारी किया गया कीमत सूचकांक, हालांकि एनआईटी में वर्णित नहीं था, उस लागत सूचकांक से अलग था जिस पर सीपीडब्ल्यूडी ने वृद्धि परिकलित की थी, को तालिका 4.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: निविदा को प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर कीमत सूचकांक एवं सीपीडब्ल्यूडी द्वारा वृद्धि के लिए सुविचारित कीमत सूचकांक

सामग्री	डीजीडब्ल्यू द्वारा जारी किया गया कीमत सूचकांक जो कि निविदाओं की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक लागू था	वृद्धि परिकलित करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा लिया गया कीमत सूचकांक
सीमेंट	95.00	94.53
स्टीलरी इंफोर्समेंट बार	112.00	103.00
संरचनात्मक स्टील	105.00	104.00

कार्य 23 नवम्बर 2013 को समाप्त हुआ। वृद्धि विवरणियों (अगस्त 2009 से मई 2013) के आधार पर सीपीडब्ल्यूडी ने कार्य में लगने वाले सीमेंट और स्टील की

कीमतें बढ़ने के कारण वृद्धि के लिए संविदाकर्ता को ₹3.08 करोड़⁵ का भुगतान किया। हालांकि, अक्टूबर 2014 में सीपीडब्ल्यूडी ने वृद्धि को ₹3.05 करोड़⁶ तक परिशोधित किया और अंतिम बिल में ₹3.53 लाख (जनवरी 2015) समायोजित किए गए।

लेखापरीक्षा ने वृद्धि परिकलित की और पाया कि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को लागू सूचकांक के अनुसार केवल ₹1.69 करोड़ ही संविदाकर्ता को देय थे। इस प्रकार, दिनांक 31 दिसम्बर 2008 के ओएम के उल्लंघन में ऐसे कीमत सूचकांक पर विचार करते हुए जो कि निविदा की प्राप्ति की अंतिम तिथि को लागू नहीं था, सीमेंट और स्टील की वृद्धि के गलत परिकलन के कारण संविदाकर्ता को ₹1.36 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा अवलोकनों को मानते हुए, सीपीडब्ल्यूडी ने कहा (सितम्बर 2017/ जुलाई 2018) कि संविदाकर्ता से उक्त धनराशि की वसूली करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे थे।

हालांकि, जुलाई 2018 में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को इस बारे में सूचित करने के बाद सीपीडब्ल्यूडी ने अपने पूर्व उत्तरों के विरोधाभास में कहा (नवम्बर 2018) कि फरवरी 2009 के सूचकांक सही लगाए गए हैं क्योंकि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2009 थी और 13 फरवरी 2009 को जारी किए गए सामग्री के सूचकांक सम्पूर्ण फरवरी 2009 माह के लिए लागू थे अर्थात् 1 फरवरी 2009 से।

उपरोक्त उत्तर निम्न के कारण स्वीकार्य नहीं हैं:

- ऐसे कीमत सूचकांक को मानना जो कि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के समय लागू नहीं था, दिनांक 31 दिसम्बर 2008 के ओएम का उल्लंघन है जिसके अनुसार वही कीमत सूचकांक माना जाएगा जो कि निविदाओं की प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि को लागू होगा, 13 फरवरी 2009 को जारी किए गए सूचकांक को 7 फरवरी 2009 जो कि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि थी, को लागू नहीं किया जा सकता।
- उत्तरवर्ती वर्षों में, सीपीडब्ल्यूडी ने सूचकांक को परिभाषित किया है जिसे डी जी, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा सीमेंट, स्टील रीइंफोर्समेंट बार, संरचनात्मक स्टील व पीओएल के लिए जारी किए गए कीमत सूचकांक के रूप में वृद्धि परिकलित करने के लिए आधार माना जाना चाहिए तथा जो अनुसूची 'एफ' में दर्शाई गई सम्बन्धित सामग्री की आधार कीमत के समय की होगी। चूँकि उस अनुसूची में आधार

⁵ सीमेंट ₹79,65,072 + स्टील रीइंफोर्समेंट बार ₹2,03,52,463 + संरचनात्मक स्टील ₹25,10,542

⁶ सीमेंट ₹78,33,677 + स्टील रीइंफोर्समेंट बार ₹2,07,64,745 + संरचनात्मक स्टील ₹18,76,019

कीमतें 12 जनवरी 2009 को जारी किए गए कीमत सूचकांक के समय की थीं, 13 फरवरी 2009 के कीमत सूचकांक को अपनाना सही नहीं था।

इस प्रकार सीपीडब्ल्यूडी द्वारा वृद्धि परिकल्पित करने के लिए गलत कीमत सूचकांक अपनाने के कारण संविदाकर्ता को ₹1.36 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

मामले को मंत्रालय को जुलाई 2018 में उद्धृत किया गया उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

मुद्रण निदेशालय

4.4 विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान ₹1.88 करोड़

भारत सरकार के मुद्रणालयों (मिंटो रोड तथा मायापुरी) में यह पाया गया कि वर्ष 2007-08 से 2017-18 के दौरान विद्युत की अनुबंधित मांग के संबंध में वास्तविक खपत निर्धारित अनुबंधित मांग की तुलना में लगातार कम थी, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त दो मुद्रणालयों को ₹1.88 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) (प्रदर्शन मानक-मीटरिंग और बिलिंग) विनियम, 2002 के अनुसार, लोड में कमी के लिए आवेदन को मूल अनुमोदन से दो साल बाद स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद, अप्रैल 2007 में संशोधित विनियमों में भी 100 किलो वाट (केडब्ल्यू) से अधिक भार वाले कनेक्शन के लोड में कमी के संबंध में भी समान प्रावधान थे। ये विनियम आपूर्ति अनुबंध में दी गई 'अनुबंधित मांग' को केवीए (किलो वोल्ट एम्पियर) में मांग के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसके लिए लाइसेंसधारी समय-समय पर शासन की शर्तों के अधीन आपूर्ति करने के लिए विशिष्ट प्रतिबद्धता करता है। मांग शुल्क का अर्थ केवीए में बिलिंग मांग के आधार पर बिलिंग चक्र या बिलिंग अवधि के लिए प्रभारित धनराशि है, जहाँ बिलिंग के लिए बिलिंग मांग का अर्थ निम्न में से उच्चतम है (i) अनुबंधित मांग (ii) बिलिंग चक्र के दौरान मीटर द्वारा अधिकतम मांग संकेतक (एमडीआई) या (iii) स्वीकृत भार जहाँ भी आपूर्ति करार में अनुबंधित मांग को प्रदत्त नहीं किया गया था। इस प्रकार ऐसे मामलों में जहाँ वास्तविक उपयोग की गई अनुबंधित मांग सहमत अनुबंधित मांग से कम थी, समझौते के अनुसार संपूर्ण अनुबंधित मांग के लिए भुगतान किया जाना था।

नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के दो मुद्रणालयों (जीआईपी), जीआईपी, मिंटो रोड तथा जीआईपी, मायापुरी की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2007-08 से

2017-18 तक के दौरान विद्युत की वास्तविक खपत दोनों मुद्रणालयों में निर्धारित अनुबंधित मांग की तुलना में लगातार कम थी, जिसके परिणामस्वरूप जीआईपी को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ₹1.88 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

4.4.1 भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली-(जीआईपी, एमआर)

1000 केवीए (एचटी11 केवी) की अनुबंधित मांग की बिजली की आपूर्ति के लिए जीआईपी, एमआर द्वारा 28 सितंबर 1985 को मैसर्स दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाइ अंडरटेकिंग, दिल्ली नगर निगम (2004 से वितरण मैसर्स बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया) के साथ एक बिजली आपूर्ति समझौता किया गया था। जीआईपी, एमआर पर कनेक्शन, आपूर्ति प्रकार एचटी (11 केवी) के साथ गैर-घरेलू-एचटी (उच्च तनाव) की टैरिफ श्रेणी में मंजूर किया गया था।

अप्रैल 2007 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिए जीआईपी, एमआर द्वारा उपलब्ध कराए गए बिजली बिलों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि जीआईपी, एमआर में बिजली की खपत केवल 132 केवीए से 396 केवीए के बीच थी। इसलिए, 1000 केवीए में से 604 केवीए से 868 केवीए के बीच अनुबंधित मांग अप्रयुक्त रही। लेखापरीक्षित अवधि के 132 महीनों में से 127 महीनों में बिजली का उपयोग 350 केवीए से कम था। इसलिए, संरक्षित आधार पर, जीआईपी, एमआर के लिए 350 केवीए की अनुबंधित मांग पर्याप्त थी। इस प्रकार, 650 केवीए की अनुबंधित मांग प्रत्येक महीने में अप्रयुक्त रही। हालाँकि, डीईआरसी के नियमों के अनुसार, पूरी अनुबंधित मांग के लिए परिहार्य शुल्क का भुगतान किया जाना था, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.16 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

इस मामले को जुलाई 2017 में और पुनः अगस्त 2018 में जीआईपी, एमआर के प्रबंधन को संदर्भित किया गया था। जवाब में, प्रबंधन ने कहा (जून 2018) कि उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता (विद्युत) को (अगस्त 2017) लिखा तथा लोड के पुनर्मूल्यांकन हेतु अनुरोध किया।

नवम्बर 2018 में, प्रबंधन ने उत्तर दिया कि प्रचालक कर्मचारियों की कम संख्या और मशीनरी की निरंतर खराबी के कारण अनुबंधित मांग का उपयोग नहीं किया जा सका। उन्होंने आगे कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाने के बाद, अगस्त 2017 में कार्रवाई शुरू की गई थी और अक्टूबर 2018 में मैसर्स बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड को 250 केडब्ल्यू/केवीए तक लोड को कम करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अनुगामी उत्तर (जनवरी 2019) में प्रबंधन ने कहा कि स्वीकृत लोड नवम्बर 2018 के माह से 916 केडब्ल्यू से घटाकर 250 केडब्ल्यू कर दिया गया है।

4.4.2 भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, नई दिल्ली

भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी नई दिल्ली (जीआईपी, एमपी) ने भी मैसर्स बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड से 802 केवीए की अनुबंधित मांग ली थी। अप्रैल 2007 से मार्च 2018 की अवधि के लिए बिजली के बिलों की जांच से पता चला कि बिजली की वास्तविक खपत केवल 120 केवीए से 456 केवीए के बीच थी। बिजली की वास्तविक खपत 132 महीनों में से 120 महीनों में 400 केवीए से कम थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा विश्लेषण की अवधि अप्रैल 2007 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान लगभग 50 प्रतिशत अनुबंधित मांग अप्रयुक्त रही। हालांकि, डीईआरसी के नियमों के अनुसार, पूरी अनुबंधित मांग के लिए परिहार्य शुल्क का भुगतान किया जाना था, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.72 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

इस मुद्दे को सितंबर 2017, जून 2018 तथा अक्टूबर 2018 में जीआईपी,एमपी के संज्ञान में लाया गया था। जवाब में, प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि मुद्रण निदेशालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अनुमोदन के बाद मैसर्स बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड को 400 केवीए की घटी हुई अनुबंधित मांग का अनुमोदन देने हेतु अनुरोध किया गया था (मार्च 2018)।

अक्टूबर 2018 में, प्रबंधन ने जवाब दिया कि अनुबंधित मांग 400 केवीए तक कम हो गई थी।

प्रबंधन के जवाबों ने इस तथ्य की पुष्टि की कि 10 से अधिक वर्षों के लिए दोनों जीआईपी में आवश्यकता से अधिक अनुबंधित मांग विद्यमान थी। इसके परिणामस्वरूप **अनुलग्नक-V** में दिए विवरण के अनुसार अप्रैल 2007 से मार्च 2018 तक की अवधि के दौरान ₹1.88 करोड़ (₹1.16 करोड़ + ₹0.72 करोड़) का परिहार्य आवर्ती व्यय हुआ। लेखापरीक्षा अवलोकन में उल्लिखित परिहार्य भुगतान के उदाहरण वे हैं जो दिल्ली में स्थित दो जीआईपी में देखे गए थे। इनके अलावा, मंत्रालय के पास दिल्ली में और भारत में अन्य शहरों में 10 अन्य जीआईपी हैं। मंत्रालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि समान अनियमितताओं की संभावना को कम करने के लिए समान मामलों की घटनाओं की जांच और पुनः सत्यापन किया जाए।

अक्टूबर 2018 में मामले को मंत्रालय को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

4.5 ₹94.74 करोड़ के मुद्रण शुल्क की बकाया राशि की गैर वसूली

बकाए की वसूली के लिए प्रभावी अनुवीक्षण तंत्र की कमी के कारण, मुद्रण निदेशालय, उन मुद्रण प्रभारों की, जो 31 मार्च 2018 तक ₹94.74 करोड़ की राशि तक संग्रहित हो गए थे तथा 41 वर्षों की अवधि से बकाया थे, की वसूली नहीं कर सका।

मुद्रण निदेशालय (डीओपी), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (मंत्रालय) का एक संलग्न कार्यालय, भारत सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों के मुद्रण कार्यों के क्रियान्वयन सहित प्रकाशनों एवं प्रपत्रों के मुद्रण हेतु उत्तरदायी है। वर्तमान में डीओपी के प्रशासनिक नियंत्रण में, भारत सरकार के 12 मुद्रणालय हैं, जिनमें भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी नई दिल्ली (जीआईपी) भी शामिल है। मुद्रण कार्य करने के बाद डीओपी द्वारा अनुमोदित प्रोफार्मा लेखे पर आधारित लागत विधि के आधार पर मुद्रण लागत बिलों के द्वारा माँगकर्ताओं से मुद्रण की लागत वसूल की जाती है। जीआईपी विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की राज्य सरकार, विभिन्न स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल है, की मुद्रण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

जीआईपी की लेखापरीक्षा नियमित रूप से की जाती है तथा मुद्रण प्रभारों की गैर-वसूली का विषय लेखापरीक्षा में अनेक बार उठाया जा चुका है। यह लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गयी थी कि जीआईपी देय राशि की गैर वसूली के मामलों की प्रभावी देखरेख कर रही थी या नहीं। जीआईपी के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित ज्ञात हुआ:

4.5.1 साल दर साल, बकाया मुद्रण प्रभारों में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति

मार्च 2018 तक, जीआईपी को विभिन्न संस्थाओं से ₹94.74 करोड़ के मुद्रण प्रभार की वसूली करनी थी। यह पाया गया कि बकाया धनराशि साल के अंत तक (2017-18 के अलावा) बढ़ती गयी जैसा कि तालिका 4.2 में दर्शाया गया है:-

तालिका 4.2: 2012-13 से 2017-18 की अवधि में बकाया मुद्रण प्रभार

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारंभिक शेष	बिल बनाए गए	घटा/जमा वर्ष के दौरान संशोधित बिल पिछले/वर्तमान वर्ष के लिए	वसूली योग्य कुल धनराशि	वसूली गई धनराशि	बकाया मुद्रण प्रभार
1.	2012-13	4,628.83	4,032.62	-11.82	8,649.63	2,905.30	5,744.33
2.	2013-14	5,744.33	3,914.42	-7.43	9,651.32	2,703.80	6,947.52
3.	2014-15	6,947.52	4,790.46	-53.31	11,684.67	2,699.15	8,985.52
4.	2015-16	8,985.52	3,469.27	4.51	12,459.31	3,048.32	9,410.99
5.	2016-17	9,410.99	2,106.71	0.25	11,517.95	1,863.33	9,654.62
6.	2017-18	9,654.62	2,756.86	-2.69	12,408.79	2,934.62	9,474.17

आगे, 31 मार्च 2018 को वर्षवार, बकाया मुद्रण प्रभार का विवरण **अनुलग्नक-VI** में दिया गया है। बकाया मुद्रण प्रभार के आयु-वार विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि ₹2.05 करोड़ तथा ₹2.70 करोड़ क्रमशः 1976-77 से 1989-90 तथा 1990-91 से 1999-2000 तक की अवधि से संबंधित थे तथा इस प्रकार 18 से 41 वर्षों से अधिक पुराने थे।

4.5.2 जीआईपी वर्तमान के साथ पुराने मुद्रण प्रभारों की वसूली में असफल रही

2000-01 तक कुल बकाया मुद्रण प्रभार ₹5.35 करोड़ में से जीआईपी 2015-16 से 2016-17 तक कोई भी धनराशि वसूल करने में असफल रही। इसी प्रकार, अवधि 2001-02 से 2004-05 के लिए बकाया मुद्रण प्रभार ₹3.12 करोड़ में से ₹0.10 लाख की धनराशि अर्थात् 0.03 प्रतिशत की वसूली की जा सकी। आगे, 2005-06 से 2014-15 की अवधि से संबंधित मुद्रण प्रभारों की 2015-16 एवं 2016-17 में वसूली भी संतोषप्रद नहीं थी, क्योंकि ₹81.37 करोड़ की बकाया धनराशि में से मात्र ₹39.05 करोड़ ही 2015-16 से 2016-17 के दौरान वसूले गए। 2017-18 के दौरान भी जीआईपी, 1997-98 से संबंधित ₹3,714 के अतिरिक्त 2003-04 तक की बकाया राशियों की वसूली नहीं कर पाई। 2012-13 के लिए बकाया ₹1.66 करोड़ में से किसी भी राशि की वसूली नहीं की जा सकी तथा 2015-16 के लिए बकाया ₹28.49 करोड़ में से ₹0.19 करोड़ (0.69 प्रतिशत) की अल्प धनराशि की ही वसूली हो पाई।

इस प्रकार, जीआईपी न केवल, 11 वर्षों से 41 वर्ष पुराने, लंबे बकाया मुद्रण प्रभारों की वरन् तुलनात्मक रूप से हाल ही के 10 वर्षों से कम अवधि के मुद्रण प्रभारों की वसूली करने में भी असफल रही।

4.5.3 बकाया देय की वसूली के लिए तय लक्ष्यों का प्राप्त न होना

यद्यपि मुद्रण प्रभारों की वसूली के लिए लक्ष्य निश्चित किए गए थे, उनकी तुलना में प्राप्ति 2012-13 से सदैव नीचे ही रही जैसा कि तालिका 4.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.3: मुद्रण प्रभारों की वसूली के संदर्भ में लक्ष्य एवं प्राप्ति (₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्ति प्रतिशत में
1.	2012-13	37.31	29.05	78
2.	2013-14	45.73	27.03	59
3.	2014-15	52.06	26.99	52
4.	2015-16	66.95	30.48	46
5.	2016-17	उपलब्ध नहीं करवाया गया	18.63	-
6.	2017-18	59.00	29.34	50

4.5.4 जीएनसीटीडी से लंबे समय से ₹5.01 करोड़ के मुद्रण प्रभार का बकाया

31 मार्च 2018 तक वसूले जाने वाले मुद्रण प्रभारों का संस्था-वार विवरण अनुलग्नक-VII में दिखाया गया है। अनुलग्नक-VII के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ है कि 31 मार्च 2018 को जीएनसीटीडी से ₹5.01 करोड़ बकाया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹0.31 करोड़ के मुद्रण प्रभार 28 वर्षों से 41 वर्ष की अवधि से संबंधित थे जब कि ₹0.77 करोड़, 7 से 27 वर्ष की अवधि से संबंधित थे जैसा कि अनुलग्नक-VIII में दर्शाया गया है। यह इंगित करता है कि जीआईपी, बड़ी धनराशि की लंबे समय से वसूली, ऐसे विभाग/मंत्रालय से करने में असफल रही जो प्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग के अधीन नहीं थे।

4.5.5 बकाया मुद्रण प्रभारों की वसूली के लिए प्रयासों में कमी

अप्रैल 2016 में, डीओपी ने सभी भारत सरकार मुद्रणालयों को कहा कि मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि माँगकर्ता विभागों/कार्यालयों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर, पुरानी बड़ी बकाया धनराशियों की वसूली करने हेतु कुछ अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए। अतः, जीआईपी के प्रमुख/प्रभारी अधिकारी को मुद्रणालय के वर्तमान कार्यबल में से दो कर्मचारियों को, जो माँगकर्ताओं के संस्थानों का भ्रमण कर एवं उनके द्वारा भुगतान करने में आने वाली समस्याओं/मुश्किलों का निराकरण कर, वसूली का काम तेजी से

करने का कार्य दक्षतापूर्वक कर सकें। आगे, डीओपी ने इच्छा जताई कि रिपोर्ट/प्रगति की सूचना, पाक्षिक आधार पर डीओपी को दी जाए।

तदनुसार, जीआईपी ने दो कर्मचारियों के एक दल तथा एक उप-दल का गठन विभिन्न मांगकर्ताओं से बकाया मुद्रण प्रभार की वसूली के लिए किया (जून 2016)। फिर भी, दलों के गठन के बावजूद, बकाया देय में बहुत अधिक कमी नहीं हुई। आगे, लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि यद्यपि जीआईपी, पाक्षिक स्थिति/प्रगति अग्रसारित कर रही थी, डीओपी में इन प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, तथा इन्हें मात्र संचिकाबद्ध किया जा रहा था। आगे किसी कार्रवाई के बिना या उच्च प्राधिकारियों को सूचित किये जाने की अनुपस्थिति में इन प्रतिवेदनों ने किसी भी सार्थक उद्देश्य की पूर्ति नहीं की।

यह मामला, डीओपी को अगस्त 2018 में संदर्भित किया गया था। यह स्वीकार करते हुए कि पुराने अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण, मुद्रणालय 1976 से 2006 की अवधि के बिलों की प्रतिलिपि मंत्रालयों/विभागों को उपलब्ध कराने में अक्षम था, डीओपी ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2018) में कहा कि:-

- क) वर्ष 2006 तक, मुद्रणालय ने बिल बनाने की दोहरी पद्धति को अपनाया था अर्थात् 'अंतिम बिल' (सभी विभागों/मंत्रालयों के लिए उनके वर्तमान माँग वर्ष के लिए, मुद्रणालय से अनुमोदित उपलब्ध-दर के आधार पर) एवं अंतिम बिल (जब ऐसे कार्य किए गए थे उससे संबंधित लेखापरीक्षित 'प्रोफार्मा' लेखों के आधार पर, संबंधित वर्ष की अनुमोदित संशोधित "सामान्य घंटा दरों" पर आधारित)। आगे, यह भी कहा कि मंत्रालय/विभाग अपनी मुद्रण मांगों का दोहरा भुगतान करने के लिए अनिच्छुक थे इसलिए, अंतिम बिलों की वसूली मंत्रालयों/विभागों से नहीं की जा सकी। परिणामतः वृहत मुद्रण प्रभार एकत्रित हो गए।
- ख) एक वर्ष में बनाए गए बिलों की कुल धनराशि की वसूली मंत्रालय/विभाग से उनके पास पर्याप्त धन की उपलब्धता न होने के कारण नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष मुद्रण प्रभार एकत्रित होते गए।
- ग) मुद्रणालय द्वारा निरंतर उठाए गए कदमों के कारण, जीएनसीटीडी से बकाया मुद्रण धनराशि 31 मार्च 2017 को ₹5.32 करोड़ से घट कर 31 मार्च 2018 को ₹5.01 करोड़ रह गयी।

घ) मुद्रण प्रभारों की वसूली के लिए प्रयास अभी भी जारी थे तथा मुद्रणालयों ने विभागों /मंत्रालयों का आवंटन करते हुए कर्मचारियों के नए दल का गठन किया था। मुद्रण प्रभारों के बिलों को बनाना तथा इनकी प्राप्ति एक निरंतर प्रक्रिया थी तथा मुद्रणालय एवं डीओपी, बकाया मुद्रण प्रभारों की वसूली के लिए सभी प्रयास कर रहे थे।

डीओपी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि,

क) बिल बनाने की दोहरी पद्धति 2006 के बाद बंदकर/ रोक दी गयी थी। इसके बावजूद, मुद्रणालय बाद के वर्षों के लिए मुद्रण प्रभारों की वसूली करने में असफल रहा तथा जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा प्रकट किया गया है कि वसूल की गई राशि सदैव ही बनाए गए बिलों की राशि से कम थी।

ख) यह माँगकर्ता मंत्रालयों/विभागों की जिम्मेदारी थी कि वे अपनी मुद्रण आवश्यकताओं के लिए बजट प्रावधान करें। उनके पास धन की अनुपलब्धता डीओपी द्वारा मुद्रण प्रभारों की गैर वसूली के लिए वैध स्पष्टीकरण नहीं माना जा सकता।

ग) जीएनसीटीडी से 2017-18 में ₹0.31 करोड़ की मामूली वसूली को बकाया देय राशि में महत्वपूर्ण प्राप्ति नहीं माना जा सकता।

इस प्रकार, मुद्रण प्रभारों की वसूली के लिए प्रभावी अनुवीक्षण तंत्र की कमी के कारण, डीओपी मार्च 2018 को ₹94.74 करोड़ के मुद्रण प्रभारों की वसूली नहीं कर सका जो 41 वर्ष तक की अवधि से लंबित थे।

अक्टूबर 2018 में मामले को मंत्रालय को भेजा गया उनका उत्तर अभी भी (सितम्बर 2019) प्रतीक्षित था।

4.6 जल शुल्क के भुगतान पर परिहार्य व्यय

अप्रैल 2012 से मार्च 2018 के दौरान क्वार्टरों में रहने वालों की ओर से जल शुल्क के भुगतान पर ₹1.65 करोड़ का परिहार्य व्यय तथा इसका भारत सरकार के मुद्रणालय, मायापुरी के 'कार्यालय व्यय' शीर्ष से किया गया अनियमित भुगतान।

मुद्रण निदेशालय(डीओपी),आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार मुद्रणालय (जीआईपी) रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली के

पास 1972 से टाइप I से IV के 601 क्वार्टर तथा एक प्रबंधक बंगला था। जुलाई 2005 में, 182 क्वार्टर⁷ अधिशेष घोषित कर दिए गए तथा आवंटन के लिए “जनरल पूल” श्रेणी के अंतर्गत संपदा निदेशालय (डीओई) को अभ्यर्पित कर दिए गए थे।

जीआईपी कॉलोनी में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) का एक ही पानी का कनेक्शन था तथा जीआईपी के पंपहाउस/ ओवरहेड टैंक के माध्यम से सभी क्वार्टरों में पानी की आपूर्ति की जाती थी।

लेखापरीक्षा के दौरान, 2012-13 से 2017-18 की अवधि के अभिलेखों की जाँच की गई यद्यपि 1972 से जीआईपी डीजेबी को निरंतर जल शुल्क अदा कर रही है। इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने निम्न बातों का अवलोकन किया:-

- ‘कार्यालय व्यय’ शीर्ष के अंतर्गत समस्त 601 क्वार्टरों का जल शुल्क जीआईपी द्वारा भुगतान किया गया। अप्रैल 2012 से मार्च 2018 के दौरान जीआईपी ने डीजेबी को ₹2.09 करोड़ जल शुल्क के रूप में भुगतान किया। इसमें से ₹0.63 करोड़⁸ (लगभग) की राशि 182 क्वार्टरों के संबंध में भुगतान की गई थी जो 2005 में संपदा निदेशालय को अभ्यर्पित कर दिए गए थे तथा अभ्यर्पित किए गए क्वार्टरों के रहने वालों से कोई राशि वसूल नहीं की जा सकी।
- जीआईपी ने डीजेबी को किए गए वास्तविक भुगतान पर विचार किये बिना स्टॉफ क्वार्टरों के आवंटियों से वसूले जाने वाले शुल्क की दर तय की इसलिए, जीआईपी के कर्मचारियों को आवंटित 419 क्वार्टरों के लिए लगभग ₹1.46 करोड़⁹ की राशि में से केवल ₹0.44 करोड़ की राशि ही अप्रैल 2012 से मार्च 2018 के दौरान वसूल की जा सकी। इस प्रकार कर्मचारियों से जल शुल्क की लगभग ₹1.02 करोड़ की राशि कम वसूली हो पाई।
- वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम (डीएफपीआर) (नियम 8) निर्धारित करता है कि ‘कार्यालय व्यय’ में कार्यालय को चलाने के लिए सभी आकस्मिक खर्च शामिल होंगे तथा सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2005 और 2017 के नियम 26(ii) में निहित है कि धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाना

⁷ (122 टाइप-I और 60 टाइप-II)

⁸ प्रत्येक प्रकार के क्वार्टरों के लिए डीजेबी को किए गए वास्तविक भुगतान के विवरण की कमी के कारण, किए गए भुगतान की कुल राशि को 601 क्वार्टरों में समान रूप से विभाजित किया गया। (₹2.09 करोड़/601) * 182 क्वार्टर = ₹0.63 करोड़

⁹ (₹2.09 करोड़/601) * 419 क्वार्टर = ₹1.46 करोड़

चाहिए जिसके लिए उसे प्रदान किया गया था। इन सभी को ध्यान में रखते हुए, 'कार्यालय व्यय' शीर्ष से स्टॉफ क्वार्टरों के लिए जल शुल्क के ₹2.09 करोड़ का भुगतान अनाधिकृत और डीएफपीआर और जीएफआर के प्रावधानों का उल्लंघन था।

मुद्रण निदेशालय (डीओपी) (अक्टूबर 2018) ने कहा कि थोक आपूर्ति के लिए समेकित जल शुल्क बिल को डीजेबी द्वारा जीआईपी के नाम से बनाया गया था और इसलिए 2005 में जुर्माना/वियोजन से बचने के लिए 182 अभ्यर्पित क्वार्टरों का भुगतान भी करना पड़ा। यह भी कहा गया कि डीओई और सीपीडब्ल्यूडी के साथ पत्राचार के बावजूद, 182 अभ्यर्पित क्वार्टरों के संबंध में जल शुल्क की वसूली नहीं करने के बारे में कोई भी सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सका। इसी तरह, डीजेबी के साथ बार-बार मामला उठाने के बावजूद अलग से पानी के मीटर नहीं लगाए जा सके। डीओपी ने यह भी कहा कि जुलाई 2018 से जीआईपी के रहने वालों के संबंध में जल शुल्क की दरों को संशोधित किया गया था और वसूली में वृद्धि की गई थी। डीओपी ने आगे कहा कि मुख्यालय स्तर पर डीओई/सीपीडब्ल्यूडी के साथ मामले को उठाया जा रहा था तथा जीआईपी कॉलोनी के निवासी कल्याण संघ ने भी अब व्यक्तिगत मीटर लगवाने के मुद्दे को उठाया था।

डीओपी का उत्तर निम्नलिखित के प्रकाश में देखा जाना चाहिए:-

- (क) 2005 में क्वार्टरों के अभ्यर्पण के बावजूद, अभ्यर्पण के बाद से 13 वर्षों की अवधि के बाद भी आबंटियों से वसूली की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी। इस संबंध में, निवासी कल्याण संघ, यूनियन प्रतिनिधि और प्रबंधक जीआईपी की एक संयुक्त बैठक नवंबर, 2011 में सामान्य पूल आबंटियों या उनके संबंधित कार्यालयों से जल शुल्क की वसूली के लिए आयोजित की गई थी। इसके बावजूद, अभ्यर्पित क्वार्टरों के आबंटियों से कोई वसूली नहीं की गई।
- (ख) जीआईपीने डीजेबी को किए गए वास्तविक भुगतान पर विचार किये बिना अपने स्वयं के कर्मचारियों से जल शुल्क की वसूली की दर निर्धारित की। जुलाई 2018 में आबंटियों से जल शुल्क की वसूली की दर में संशोधन के बावजूद, डीजेबी को भुगतान की गई राशि और वसूल की गई राशि के बीच एक अंतर रहा। जुलाई 2018 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान, इस अंतर के कारण जीआईपी को ₹9.55 लाख का नुकसान उठाना पड़ा।

- (ग) जीआईपी ने कार्यालय प्रभारी के स्तर पर और केवल एक बार उप निदेशक के स्तर पर व्यक्तिगत पानी के मीटर लगाने का मुद्दा उठाया। केवल 2018 में डीओपी ने मामले को मुख्यालय स्तर पर उठाने का फैसला किया। इस प्रकार, हालांकि यह मामला डीजेबी, सीपीडब्ल्यूडी और डीओई के साथ पत्राचार के माध्यम से उठाया गया था, जीआईपी द्वारा इस मामले को डीओपी में डीओई/मंत्रालय के साथ उचित स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए थे।
- (घ) 'कार्यालय व्यय' शीर्ष से स्टाफ क्वार्टरों के लिए जल शुल्क का भुगतान डीएफपीआर और जीएफआर नियमों का उल्लंघन था, लेकिन जीआईपी ने उस व्यय को वहन करना जारी रखा जो अनियमित था।

इस प्रकार, अधिभोगियों से शुल्कों की वसूली अथवा व्यक्तिगत मीटरों के संस्थापन की व्यवस्था करने के लिए डीओपी द्वारा डीओई/मंत्रालय के साथ उचित उच्च स्तरों पर अपर्याप्त कार्रवाई और अनुवर्तन के कारण स्टाफ क्वार्टरों के अधिभोगियों की तरफ से जल शुल्क का भुगतान करने के परिणामस्वरूप जीआईपी को ₹1.65 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा। 'कार्यालय व्यय' शीर्ष से इस तरह का व्यय भी अनियमित था।

सितम्बर 2018 में मामले को मंत्रालय को भेजा गया; उनका उत्तर अभी भी (सितम्बर 2019) प्रतीक्षित था।

4.7 फर्जी एलटीसी दावों की प्रतिपूर्ति

भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड के कर्मचारियों ने फर्जी टिकटों एवं तथ्यों का मिथ्या निरूपण कर दावे किए एवं उनको वास्तविक हवाई यात्राओं पर किए गए खर्च से अधिक की रकम का भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए 87 कर्मचारियों को ₹56.98 लाख की गैर हकदार राशि की प्रतिपूर्ति हुई। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, लेखापरीक्षा द्वारा बताया गए 87 मामलों में से 64 कर्मचारियों से ₹55.59 लाख (जिसमें ₹13.19 लाख का दंडात्मक ब्याज शामिल है), की रकम वसूली गई। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा की सिफारिश पर, विभाग द्वारा एलटीसी दावों की पुनः जाँच के पश्चात भारत सरकार की पाँच प्रैसों के 143 अन्य कर्मचारियों से ₹1.01 करोड़ की वसूली की गई।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा (जून 2010 में) जारी एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को गृह नगर अवकाश यात्रा रियायत का रूपांतरण करके जम्मू और कश्मीर जाने की अनुमति दी गई थी। इस ओएम ने गैर-

हकदार कर्मचारियों को भी दिल्ली/अमृतसर से किसी भी एयरलाइंस द्वारा जम्मू और कश्मीर में किसी भी स्थान पर हवाई यात्रा करने की अनुमति दी, पर इसके लिए उनकी हकदारी को एयर इंडिया के एलटीसी-80 किराए तक सीमित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 16 सितंबर 2010 के ओएम ने सरकारी कर्मचारियों को जम्मू और कश्मीर यात्रा करने के लिए निजी एयरलाइंस की सेवाएं लेने की अनुमति प्रदान की, बशर्ते कि टिकट सीधा एयरलाइंस से या केवल अधिकृत एजेंटों जोकि मैसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी, मैसर्स अशोक ट्रेवल्स एंड टूर लिमिटेड और इंडियन रेलवे क्रेडिटिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) हैं। इसके अलावा, 26 सितंबर 2014 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, गैर हकदार कर्मचारियों को भी एयर इंडिया द्वारा

- (i) चैन्नई/कोलकाता/भुवनेश्वर से पोर्ट ब्लेयर एवं
- (ii) कोलकाता/गुवाहाटी से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (एनईआर) में किसी भी स्थान तक हवाई यात्रा करने की अनुमति दे दी गई।

2012-17 की अवधि में भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड, नई दिल्ली (मुद्रणालय) में किए गए 634 अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) दावों में से 190 की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 87 मामलों में, कर्मचारियों ने फर्जी तरीकों से ₹56.98 लाख की गैर हकदारी रकम प्राप्त की जबकि इन मामलों में एलटीसी दावे निरस्त किए जाने चाहिए थे। लेखापरीक्षा में देखें गए मामलों के ब्यौरे निम्नांकित हैं:-

- सत्तासी (87) मामलों में से उनहतर (69) में, कर्मचारियों ने अपने एलटीसी बिल के साथ हवाई टिकट प्रस्तुत करते हुए, सरकार से भुगतान के लिए ₹50.03 लाख रकम के दावे किए। इन दावों के विरुद्ध, सरकार ने इन कर्मचारियों को ₹44.84 लाख की रकम का भुगतान किया। इन कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत की गई हवाई टिकटों को लेखापरीक्षा ने संबद्ध एयरलाइंस (एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर एवं इंडिगो) से क्रॉसचेक किया। एयरलाइंस से प्राप्त ब्यौरों की जांच में पाया गया कि इन कर्मचारियों ने मूल टिकटों में वर्णित ₹24.44 लाख की मूल रकम को बदलकर ₹50.03 लाख की उच्चतर राशि में तब्दील कर दिया था। इसके अतिरिक्त, भुगतान के लिए इन हवाई टिकटों को प्रस्तुत करने में देखा गया कि जिन अनाधिकृत यात्रा प्रतिनिधियों से ये टिकट बुक कराए गए थे, उनके नाम मिटा दिया गए थे। ऐसे असत्यपूर्ण दावों के चलते ये कर्मचारी, सरकार से ₹44.84 लाख का भुगतान प्राप्त करने में सफल हुए।

- इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए सत्तासी (87) मामलों में से पाँच (5) मामलों में, यद्यपि हवाई टिकट अधिकृत माध्यम से बुक कराए गए थे, परंतु यह पाया गया कि एयरलाइंस को अदा की गई ₹2.43 लाख की वास्तविक रकम को बदलकर ₹4.35 लाख कर दिया गया था एवं संबद्ध कर्मचारी ₹2.43 लाख की वास्तविक अदायगी के बजाए ₹4.12 लाख का भुगतान प्राप्त करने में सफल हुए।
- शेष 13 कर्मचारियों के संबंध में, कुल ₹8.23 लाख के हवाई टिकट अनाधिकृत यात्रा प्रतिनिधियों द्वारा बुक कराए गए किंतु भुगतान हेतु एलटीसी दावे प्रस्तुत करते समय, उन अनाधिकृत प्रतिनिधियों के नाम, टिकटों से हटा दिये गए थे फलस्वरूप, इन कर्मचारियों को ₹8.02 लाख की रकम का भुगतान किया गया।
- इस प्रकार, दस्तावेजों की जालसाजी और तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण से, लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए 87 कर्मचारियों को ₹56.98 लाख (₹44.84 लाख + ₹4.12 लाख + ₹8.02 लाख) की गैर-हकदार रकम का भुगतान किया गया।

यद्यपि, हवाई टिकटों में पर्याप्त संकेत थे कि ये टिकट जाली थे जैसे कि अदायगी के माध्यम की अनुपस्थिति, बुकिंग एजेंसी के नाम की अनुपस्थिति, टिकट पर दिखाए बेस फेयर के साथ सेवा कर राशि का मिलान नहीं होना, टिकटों पर हवाई फेयर के ब्यौरे का न होना, निजी एयरलाइंस की टिकटों पर “अंडर एलटीसी 80 फेयर” शब्दों का अंकित होना इत्यादि, लेकिन इन बिलों को पारित एवं अदा करने के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों ने बिना पर्याप्त सूझ-बूझ लगाए, इस रकम का भुगतान कर दिया।

इस मामले को 21 मई 2018 को प्रेस एवं मुद्रण निदेशालय (डीओपी) के संज्ञान में लाया गया जोकि भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड का नियंत्रक कार्यालय है। जवाब में, डीओपी ने 25 मई 2018 को मुद्रणालय को निर्देश दिया कि इन फर्जी एलटीसी दावेदारों के खिलाफ नियमों के अनुसार तुरंत कार्रवाई की जाए एवं संबद्ध कर्मचारियों की जून 2018 के वेतन में से लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट की गई वसूली भी की जाए। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड ने जुलाई 2018 में सूचित किया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की प्राप्ति के पश्चात, एलटीसी दावों की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसने आगे यह भी बताया कि कुछ कर्मचारियों ने माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली से संपर्क किया है और जून 2018 में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं। भारत सरकार प्रेस ने लेखापरीक्षा से अनुरोध किया कि वह

एयरलाइनों से एकत्र किए गए सभी दस्तावेजों को उपलब्ध कराए ताकि उनकी ओर से आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। तदनुसार, लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ भारत सरकार प्रेस को उपलब्ध करवा दी गयी (31 जुलाई 2018)।

अक्टूबर 2018 में, डीओपी ने सूचित किया कि 87 कर्मियों में 63 कर्मियों से कुल ₹56.98 लाख में से ₹38.11¹⁰ लाख की रकम वसूली जा चुकी थी और ₹18.87 लाख (ब्याज रहित) की एक रकम अभी वसूली जानी थी। 24 सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कोई राशि नहीं वसूली जा सकी। दो कर्मचारी जिनसे वसूली की गई थी और तीन सेवानिवृत्त वर्ग से थे, ने माननीय कैट (प्रधान पीठ), नई दिल्ली से संपर्क किया और उनके वेतन से किसी भी राशि की वसूली के विरुद्ध 29 जून 2018 को स्थगन आदेश प्राप्त किया। हालांकि, सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों से शेष राशि की वसूली के प्रयास किए गए थे। डीओपी ने यह भी कहा कि उसने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था जो 2012-17 के दौरान इस तरह के फर्जी दावों को पारित करने में शामिल थे और यथा समय, संगत नियमों के अन्तर्गत उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। डीओपी ने यह भी बताया कि उसने प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड, नई दिल्ली को जांच करने का निर्देश दिया और फर्जी दावेदारों के विरुद्ध सीसीएस (आचरण) नियमों और एलटीसी नियमों के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। डीओपी के निर्देशानुसार, प्रबंधक, जीआईपी, मिंटो रोड ने प्रतिपूर्ति की दिनांक से दंडात्मक ब्याज के साथ धोखाधड़ी करने वाले दावेदारों से पूरी राशि वसूलने का फैसला किया।

चूंकि, दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान एलटीसी दावों का फर्जी भुगतान देखा गया था, इस तरह के अन्य मामलों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः समान अनियमितताओं की संभावना को कम करने की दृष्टि से, लेखापरीक्षा ने सुझाव दिया कि विभाग 2010-11 के दौरान और उसके आगे भुगतान किए गए सभी एलटीसी दावों की जाँच करे। इसके अतिरिक्त, दावों को पारित करने से पहले संबंधित एयरलाइनों द्वारा वसूले जाने वाले वास्तविक हवाई किराए के सत्यापन से संबंधित निर्देश भी एलटीसी/टीए दावों को पारित करने में शामिल अधिकारियों को जारी किए जा सकते हैं।

सितंबर 2019 में डीओपी ने सूचित किया कि ₹56.98 लाख (ब्याज रहित) के विरुद्ध ₹55.59 लाख (₹13.19 लाख के दंडात्मक ब्याज समेत) 87 में से 64 कर्मचारियों से वसूल कर लिए गए थे एवं ₹14.58 लाख (ब्याज रहित) 18 सेवानिवृत्त एवं उन पाँच

¹⁰ जवाब के अनुसार मूलधन = ₹38.11 लाख + ब्याज ₹10.12 लाख मिलाकर कुल वसूली ₹48.23 लाख थी।

कर्मचारियों से अभी वसूल किए जाने थे जो माननीय कैट (प्रधान पीठ) नई दिल्ली में चले गए थे और जिन्होंने अपने वेतन में से किसी प्रकार की वसूली करने के विरुद्ध 29 जून 2018 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। डीओपी ने यह भी कहा कि लेखापरीक्षा के परामर्श अनुसार, उसने 2010-11 से आगे के सभी एलटीसी दावों को फिर से जाँच करने और एलटीसी नियमों एवं सीसीएस आचरण नियमों के तहत उचित कार्रवाई करने के बारे में सभी भारत सरकार प्रेस/भारत सरकार टैक्स्ट बुक प्रेस/इकाइयों को निर्देश जारी किए थे। पुनःजाँच के दौरान, विभाग ने 893 संदिग्ध मामले पाए जिसमें से 382 मामलों संबंध एयरलाइंस से सत्यापित कर लिए गए हैं। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामलों के अलावा, पाँच भारत सरकार प्रेसों¹¹ के 143 कर्मचारियों से ₹1.01 करोड़ की वसूली की गयी। इसके अतिरिक्त यह बताया गया कि तीन प्रेस¹² के 35 कर्मचारियों ने अपने वेतन से वसूली के विरुद्ध सीएटी से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। तदनुसार, इन कर्मचारियों से एवं उन कुछ कर्मचारियों जो सेवानिवृत्त हो गए थे या सेवा से निलंबित कर दिए गए थे, से कोई रकम वसूल नहीं की जा सकी यह भी बताया गया कि एलटीसी के गैर हकदार दावों की शेष राशि सेवाधीन कर्मचारियों से दिसंबर 2019 तक वसूल कर ली जाएगी और इन फर्जी दावेदारों से गैर हकदार एलटीसी दावों को वसूल करने के लिए सभी प्रेस/इकाइयों को निर्देश पहले ही (अगस्त 2019) दिए जा चुके थे।

इस तरह, ₹1.56 करोड़ (₹0.55 करोड़ + ₹1.01 करोड़) की रकम लेखापरीक्षा के परामर्श पर वसूल की जा चुकी थी एवं उपयुक्त ब्याज समेत ₹14.58 लाख (₹56.98 लाख में से) अभी वसूल की जानी बाकी थी।

यह मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2018 में सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2019)।

¹¹ जीआईपी, मिंटो रोड, नई दिल्ली-20, जीआईपी फरीदाबाद-111, जीआईपी, रिंग रोड, नई दिल्ली-07, जीआईपी, निलोखेड़ी-01 और जीआईपी, राष्ट्रपति भवन-01.

¹² जीआईपी, मिंटो रोड, नई दिल्ली-13, फरीदाबाद-13, जीआईपी, रिंग रोड, नई दिल्ली-09

दिल्ली विकास प्राधिकरण

4.8 विद्युत और अनुरक्षण सेवाओं के कारण फ्लैट मालिकों से ₹94.00 लाख की कम वसूली

जैसा कि निर्धारित किया गया था, प्रत्येक अधिवासी से ₹2.50 लाख की विद्युत और मैकेनिकल सेवाओं के संचालन और रखरखाव के लिए अनुरक्षण शुल्क लिया जाना था और 47 आबंटियों ने प्रत्येक ₹0.50 लाख जमा किए। जिस कारण केवल ₹94.00 लाख की कम वसूली हुई।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 1 सितंबर से 9 अक्टूबर 2014 तक हाउसिंग स्कीम 2014 (स्कीम) लॉन्च की और विभिन्न श्रेणियों जैसे कि जनता, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी के कुछ पुराने और कुछ नवनिर्मित फ्लैटों के आबंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए। योजना के आरंभ से पहले, डीडीए द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि एकमुश्त रखरखाव शुल्क जिसे सीड मनी भी कहा जाता है, को आबंटियों से विद्युत एवं मैकेनिकल (ईएंडएम) सेवाओं के संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से एकत्र किया जाएगा। एकत्र किए गए एकमुश्त रखरखाव शुल्क को दीर्घावधि जमा राशि में निवेश किया जाएगा और जमा पर प्रोदभूत/ अर्जित ब्याज से वार्षिक रखरखाव व्यय पूरा किया जाएगा। अर्जित ब्याज से अधिक शेष व्यय यदि कोई हो तो इसे फ्लैट मालिकों द्वारा वहन किया जाना था। योजना की विवरणिका में दर्शाया गया कि अक्टूबर 2010 के बाद निर्मित नई आवासीय क्षेत्र/खंड के संबंध में, सामान्य क्षेत्रों के रखरखाव के लिए, एक रखरखाव कोष बनाया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, 30 वर्षों की अवधि के लिए, फ्लैटों की निपटान लागत में सिविल और विद्युत रखरखाव शुल्क जोड़े गए थे। लिफ्ट युक्त एमआईजी फ्लैटों के लिए, सीड मनी ₹2.50 लाख प्रति फ्लैट निर्धारित की गई थी।

अभिलेखों की जांच से पता चला है कि डीडीए ने सेक्टर ए-9, नरेला, दिल्ली में लिफ्ट युक्त 384 एमआईजी फ्लैटों को बिक्री पर लगाया। इन फ्लैटों में, प्रति फ्लैट ₹2.50 लाख का एकमुश्त रखरखाव शुल्क लगाया जाना था। 384 एमआईजी फ्लैट में से 53 आबंटियों ने फ्लैट स्वीकार किए।

लेखापरीक्षा में 50 डिमांड-कम-आबंटन पत्रों की जांच की और यह देखा गया कि फ्लैट की कुल लागत में विद्युत रखरखाव के लिए एकमुश्त रखरखाव शुल्क में केवल ₹0.50 लाख की राशि शामिल थी। इनमें से, 47 मामलों में डीडीए द्वारा डिमांड-कम-अलॉटमेंट लेटर में डिमांड की गई राशि का भुगतान आबंटियों द्वारा किया गया था। शेष तीन मामलों के संबंध में, आबंटियों द्वारा किए गए भुगतान के बारे में कोई दस्तावेजी

साक्ष्य अभिलेखों में नहीं मिला। इसके परिणामस्वरूप, 47 आबंटियों से ₹94.00 लाख की एकमुश्त रखरखाव शुल्क की कम मांग और कम प्राप्ति हुई।

डीडीए ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (नवंबर 2018) कि मांग पत्र में विद्युत शुल्क @₹0.50 लाख को अनजाने में शामिल करके जारी किए गए थे। फ्लैटों के हस्तान्तरण विलेख के निष्पादन के समय आबंटियों से ₹2.00 लाख की शेष विद्युत शुल्क की माँग की जाएगी। मंत्रालय ने डीडीए के जवाब का (जून 2019) समर्थन किया।

मंत्रालय/डीडीए हालाँकि यह सुनिश्चित करे कि इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी आबंटनों के साथ-साथ बाद के आबंटन की भी पूर्ण जांच की जाए जिससे इस तरह की अनियमितताओं की संभावना को रोका जा सके।

4.9 पट्टेदार को ₹62.32 लाख का अनुचित लाभ

दुरुपयोग जुर्माना लगाने के लिए पॉलिसी के एक गलत अनुच्छेद का प्रयोग करने से ₹62.32 लाख रकम के देयता की वसूली नहीं हो पायी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जन सेवाओं, सामुदायिक सुविधाओं, खुले स्थानों, पार्क, क्रीडा स्थल, रिहाइश हेतु, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोगों एवं ऐसे किसी उद्देश्य के लिए जो समय-समय पर विज्ञप्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, के लिए जमीन आबंटित करता है। सभी पट्टे, पट्टा समझौते में शामिल नियम और शर्तों द्वारा नियमित किए जाते हैं। इन नियम और शर्तों का उल्लंघन जैसे कि अवैध निर्माण, उद्देश्य में बदलाव आदि करने पर दुरुपयोग दंड लगाया जाता है।

दुरुपयोग दंड लगाने के लिए अनुकूल नीतियाँ समय समय पर संशोधित की गयीं और निवर्तमान योजना मई 2016 में लाई गई थी जो इस विषय पर सभी पुरानी नीतियों के अधिक्रमण में थी।

नमूना जाँच में, लेखापरीक्षा ने देखा कि डीडीए आवासीय प्लॉट नं. 8, ब्लॉक सी-6, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली के मामले में दुरुपयोग दंड लगाते समय इस नीति के अनुच्छेदों का ठीक पालन नहीं किया गया। 727.42 वर्ग मीटर के इस प्लॉट को (जनवरी 1975) श्री सत्य मोहन सचदेव एवं अन्य (पट्टेदार) को पट्टे पर दिया गया था। यह इमारत नवंबर 1982 में बनाई गयी थी एवं अधिभोग प्रमाणपत्र फरवरी 1983 में जारी किया गया था।

डीडीए ने (जून 1986) पट्टेदार को नोटिस दिया कि उक्त जमीन एक अस्पताल¹³ चलाने के उद्देश्य से इस्तेमाल की जा रही थी, जो कि पट्टे की शर्तों के विरुद्ध था और पट्टेदार को नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर वास्तुस्थिति को रोक देने के लिए कहा गया। इस प्रकार के नोटिस पुनः सितंबर 1986, मार्च 1988, जून 1988, अक्टूबर 1988, नवंबर 1988 और फरवरी 1989 में भी दिए गए। पट्टेदार के पक्ष में रामलाल महाजन चैरिटेबल ट्रस्ट (ट्रस्ट) ने (मार्च 1989) डीडीए को जवाब दिया कि डीडीए के नोटिस का जवाब उनके द्वारा पहले ही अक्टूबर 1988 में दिया जा चुका था। अपने जवाब में, उन्होंने कहा कि जनवरी 1984 में, उक्त परिसर में नर्सिंग होम स्थापित करने व उसे चलाने के लिए ट्रस्ट और पट्टेदार के एटॉर्नी श्री आर.एन.सचदेव के बीच सहयोग समझौता किया गया था। समझौते के अनुसार, ट्रस्ट को पट्टेदार को भाग के स्वरूप अपनी कुल प्राप्तियों का 20 प्रतिशत देना था बशर्ते यह भाग न्यूनतम ₹2.40 लाख प्रतिवर्ष हो एवं किसी भी परिस्थितियों में उक्त परिक्षेत्र को किराए पर लिया गया नहीं माना जाएगा न ही पट्टेदार द्वारा कोई किराए का अधिकार जताया जाएगा। गठबंधन समझौता दर्शाता था कि ट्रस्ट ने नर्सिंग होम का प्रचालन 1 जनवरी 1983 से प्रारंभ कर दिया था। समझौता प्रारंभ में 39 माह की अवधि के लिए बनाया गया था जिसे आपसी सहमति से नवीकृत किया जा सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल चलाने से मास्टर प्लान का उल्लंघन नहीं होता क्योंकि रिहायशी क्षेत्र में भी, जन सेवाओं को अनुमति प्राप्त थी। दिसंबर 1999 में, पट्टेदार ने पट्टा धारण हक को फ्री होल्ड में परिवर्तित कराने की याचिका दी। डीडीए ने (जून 2000) में पट्टेदार को परिक्षेत्र के दुरुपयोग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया एवं पट्टेदार को, नोटिस जारी होने के 15 दिन के अंदर अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया वरना बिना सूचना दिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्तर में, पट्टेदार ने (अगस्त 2000) कहा कि ट्रस्ट को सम्पत्ति किराए पर दी गई थी एवं उसका दुरुपयोग उनकी संज्ञान के बिना किया गया। पट्टेदार ने यह भी कहा कि सम्पत्ति माननीय न्यायालय द्वारा 5 जुलाई 2000 को खाली करा ली गयी थी और डीडीए से निरीक्षण करने का अनुरोध किया गया था।

जून 2000 के डीडीए द्वारा जारी किए गए पत्र के उत्तर में, पट्टेदार ने (नवंबर 2000) डीडीए को भी लिखा कि एक अस्पताल चलाने से मास्टर प्लान का उल्लंघन नहीं होता क्योंकि एक रिहायशी जोन में भी नर्सिंग होम/अस्पतालों को अनुमति दी गई थी।

¹³ नर्सिंग होम हेतु अंतर्बदलीय प्रयोग

2005 में पट्टेदार ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसको माननीय कोर्ट ने अगस्त 2011 में इस कारण खारिज कर दिया कि याचिका में कोई योग्यता नहीं थी।

मई 2016 में जारी परिशोधित नीति के तहत, इस भूखंड के लिए दुरुपयोग दंड का आकलन करते हुए, डीडीए ने ₹6.24 लाख के दुरुपयोग दंड का आकलन किया (आकलन का ब्यौरा अनुलग्नक-IX में दिया गया है) इससे पूर्व, पट्टेदार ने उपरोक्त योजना की अधिसूचना के पश्चात अपने आप ₹10.99 लाख जमा करा दिए थे।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि यह आकलन, मई 2016 में अधिसूचित नीति के तहत वर्ग 5 को लगाकर किया गया था जो उन मामलों से संबद्ध था जहां अचल सम्पत्ति का किराएदार द्वारा दुरुपयोग बिना मालिक की मिलीभगत या जानकारी के किया गया था। लेकिन उक्त मामले पर वर्ग 5 को लगाना ठीक नहीं था, क्योंकि ट्रस्ट (किराएदार) के साथ किए गए समझौते में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त था कि यह एक गठबंधन है, जिसमें से हुई आय पट्टेदार और उसके किराएदार के बीच साझा की जा रही थी। इसके अलावा, डीडीए ने आकलन के लिए उक्त क्षेत्र के केवल 25 प्रतिशत का विचार किया, इस आधार पर कि पट्टेदार द्वारा इस विषय पर विवाद था और अभ्यावेदन (दिसंबर 2004) किया गया था कि उक्त क्षेत्र का केवल भूतल ही नर्सिंग होम की तरह उपयोग हो रहा था। लेकिन, डीडीए द्वारा वर्ष 2000 में किए गए निरीक्षण में पाया गया कि समस्त परिक्षेत्र नर्सिंग होम चलाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा था।

अतः यह देखा गया कि दुरुपयोग नीति की स्पष्टतया गलत व्याख्या की गई, न केवल गलत वर्ग लगाने में बल्कि दुरुपयोग का गलत क्षेत्र देने में, इस तथ्य के बावजूद कि पट्टेदार और किराएदार के बीच हुआ गठबंधन समझौता दस्तावेजों में उपलब्ध था एवं दुरुपयोग किए जा रहे समस्त परिक्षेत्र की स्वयं डीडीए द्वारा जांच एवं पुष्टि की गयी थी।

लेखापरीक्षा के अनुसार, इस मामले को परिशोधित नीति के वर्ग 2 के तहत देखा जाना चाहिए था जो उन मामलों से संबद्ध था जिनमें दुरुपयोग की प्रतिवेदन (रिपोर्ट) फाइल पर उपलब्ध थी एवं कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे एवं आबंटी को उल्लंघन को हटाने के बारे में सूचित कर दिया गया था एवं जांच के दौरान, डीडीए द्वारा उल्लंघन को हटाने की पुष्टि कर दी गयी थी। इस वर्ग के अनुसार, दुरुपयोग दंड उल्लंघन के पता लगाने की प्रथम तिथि से लेकर उल्लंघन हटाए जाने की तिथि तक लगाए जाने थे। वर्ग 2 के अंतर्गत इस प्रकार आंकलित किया गया दुरुपयोग शुल्क ₹73.31 लाख बनता था

और इसलिए डीडीए द्वारा वसूली योग्य बकाया राशि ₹62.32 लाख बनती थी (आंकलन का ब्यौरा अनुलग्नक-IX में दिया गया है)।

अतः नई नीति के तहत डीडीए द्वारा किये गए गलत आकलन ने उसे ₹62.32 लाख की वसूली योग्य राशि से वंचित कर दिया। यह मामला डीडीए के साथ प्रारंभ में अगस्त 2018 में उठाया गया, जिसमें पट्टेदार को दिए गए अनुचित लाभों को इंगित किया गया। अपने उत्तर में, डीडीए ने लेखापरीक्षा के दावे को स्वीकार किया (अक्टूबर 2018) एवं सूचित किया कि पट्टेदार से राशि वसूलने के लिए अब सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही थी। तत्पश्चात्, लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि डीडीए ने फरवरी 2019 और मार्च 2019 में वसूली के लिए पट्टेदार को नोटिस जारी किए। चूंकि यह मामला, अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान देखा गया, अतः इस तरह की अन्य अनियमितताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः डीडीए अपने द्वारा आंकलित किए गए दुरुपयोग दंडों की सटीकता को सत्यापित करने के लिए, उपरोक्त नीति की अधिसूचना के बाद के दुरुपयोग दंड के सभी मामलों की जांच करे।

यह मामला मंत्रालय को नवंबर 2018 में संदर्भित किया गया था, उनका उत्तर अभी प्रतीक्षित था (सितंबर 2019)।

4.10 लेखापरीक्षा के परामर्श पर वसूली

बोलीदाता ने निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य समाप्त नहीं किया था और निविदा शर्तों के अनुसार दण्ड का उत्तरदायी था तथापि डीडीए के द्वारा निष्पादन प्रतिभूति से सम्बंधित बैंक गारंटी को भुनाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर डीडीए द्वारा ₹141.24 लाख की वसूली की गई (₹85.60 लाख बैंक गारंटी के रूप में एवं ₹55.64 लाख ब्याज के रूप में)

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र में कॉमनवेल्थ गेम्स के पर्यटकों के आवास के लिए होटल प्लॉट¹⁴ की नीलामी के लिए अक्टूबर 2008 में निविदा आमंत्रित की थी। यह कार्य मैसर्स सीता किरण इन प्राइवेट लिमिटेड को ₹17.12 करोड़ में सौंपा गया था।

आबंटन सह मांग पत्र 23 दिसम्बर 2008 को जारी किया गया था। निविदा दस्तावेज के पैरा 3.14 के आधार पर, होटल पूरा होने की तय अवधि आबंटन सह मांग पत्र के जारी होने की तिथि अर्थात् 22 दिसम्बर 2010 से 24 महीने थी। आगे, खरीददार को

¹⁴ प्लॉट सं. ए-2, कम्युनिटी सेन्टर, पीतमपुरा, रोड सं. 43, मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज-II

हस्तांतरण दस्तावेज कार्यान्वयन के पहले निविदित राशि का पाँच प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति जमा करने की जरूरत थी, जो बैंक गारंटी के रूप में आबंटन सह मांग पत्र की तिथि से चार वर्षों तक वैध थी। तदनुसार, बोलीदाता द्वारा 7 अक्टूबर 2009 को डीडीए के पक्ष में ₹85.60 लाख की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई। यह बैंक गारंटी 22 दिसम्बर 2012 तक वैध थी।

होटल के पूरा होने में देरी की स्थिति में निविदा की शर्तों में निर्दिष्ट किया गया था कि बैंक गारंटी राशि को होटल पूरा होने में हुई देरी की हद तक निविदा में निर्धारित किए गए कार्यक्रम के अनुसार भुनाया जाना था। इच्छुक भागीदार/खरीददार के द्वारा समाप्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की तिथि को समाप्ति की तिथि माना गया था। होटल के लिए पूर्णता सह अधिभोग प्रमाणपत्र 20 फरवरी 2018 को जारी किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि (जून 2016) यद्यपि बोलीदाता ने निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य समाप्त नहीं किया था और निविदा शर्तों के अनुसार दंड का उत्तरदायी था, तथापि डीडीए के द्वारा निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित बैंक गारंटी को भुनाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा (जून 2016) इंगित किए जाने पर, दिसम्बर 2017 में डीडीए के द्वारा ₹141.24 लाख (₹85.60 लाख+₹55.64 लाख ब्याज के रूप में) वसूली की गई। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (मार्च 2018) ने कहा कि बैंक गारंटी का नवीनीकरण नहीं करना और देरी से भुनाना अनजाने में की गई गलती थी, इसके लिए जवाबदेही अलग से तय की जायेगी।

इस प्रकार लेखापरीक्षा के बताए जाने पर ₹141.24 लाख की वसूली डीडीए के द्वारा की गई।

4.11 लेखापरीक्षा के परामर्श पर सुधार/परिशोधन

संविदागत मांग (सीडी) की वास्तविक खपत बिजली की आपूर्ति करने वाली कम्पनियों से ली गई सीडी की तुलना में लगातार कम थी। यद्यपि 100 किलोवाट (केडब्ल्यू) से अधिक के कनेक्शनों के लिए प्रारम्भिक ऊर्जा के प्रदान किए जाने की तिथि के दो वर्ष बाद संविदागत मांग को कम करने का प्रावधान था, फिर भी डीडीए द्वारा इसका लाभ तीन खेल परिसरों के सम्बंध में नहीं उठाया गया था परिणामस्वरूप ₹59 लाख की परिहार्य हानि हुई। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तीनों खेल परिसरों के लिए संविदागत मांग घटा दी गई।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के तीन खेल परिसरों, नामतः रोहिणी खेल परिसर, मेजर ध्यान चन्द खेल परिसर, अशोक विहार एवं पूर्वी दिल्ली खेल परिसर, दिलशाद गार्डन की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि संविदागत माँग (सीडी) की वास्तविक खपत बिजली की आपूर्ति करने वाली कम्पनियों से ली गई सीडी की तुलना में लगातार कम थी। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) प्रदर्शन मानक-मीटरिंग और बिलिंग विनियमन 2002 के अनुसार 2002 से डीडीए को बिलिंग माँग¹⁵ आधार पर स्थायी संविदागत माँग शुल्क का भुगतान करना था अर्थात् यदि वास्तविक उपभोग ली गई संविदागत माँग से कम था, तो भी स्थाई शुल्क का भुगतान पूर्ण संविदागत माँग हेतु किया जाना था। यद्यपि 100 किलो वाट (केडब्ल्यू) से अधिक के कनेक्शनों के लिए प्रारम्भिक उर्जा प्रदान किए जाने की तिथि के दो वर्ष बाद संविदागत माँग को कम करने का प्रावधान था, फिर भी डीडीए द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹59.00 लाख का परिहार्य नुकसान हुआ। विवरण निम्नानुसार है:

4.11.1 रोहिणी खेल परिसर (आरएससी)

मैसर्स टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (मैसर्स टीपीडीडीएल) आरएससी को गैर-घरेलू (एचटी), आपूर्ति टाइप एचटी (11 केवी) की टैरिफ श्रेणी में 250 केडब्ल्यू के स्वीकृत लोड व 295 केवीए संविदागत माँग की बिजली की आपूर्ति प्रदान कर रही थी। कनेक्शन मई 2002 में सक्रिय किया गया था। जून 2004 से मार्च 2018 की अवधि के बिजली बिलों की नमूना जाँच ने दर्शाया कि 295 केवीए की संविदागत माँग के सापेक्ष, वास्तविकता में उपयोग की जाने वाली सीडी 155 केवीए से अधिक नहीं थी। इस प्रकार प्रत्येक महीने के दौरान कम से कम 140 केवीए की सीडी अप्रयुक्त रही तथा आरएससी ने अतिरिक्त सीडी को कम करने के लिए कोई भी कार्रवाई न करते हुए अप्रयुक्त सीडी हेतु परिहार्य स्थाई शुल्क का भुगतान करना जारी रखा। इस प्रकार डीडीए द्वारा सीडी को 140 केवीए कम नहीं कराने के कारण जून 2004 से मार्च 2018 तक ₹32 लाख का परिहार्य व्यय हुआ (विवरण अनुलग्नक-X के अनुसार)।

4.11.2 मेजर ध्यान चंद खेल परिसर (एमडीसीएससी), अशोक विहार

मैसर्स टीपीडीडीएल ने एमडीसीएससी को भी गैर-घरेलू (एचटी), आपूर्ति टाइप एचटी (11 केवी) की टैरिफ श्रेणी में 270 केडब्ल्यू के स्वीकृत भार व 191 केवीए की

¹⁵ बिलिंग के उद्देश्य से बिलिंग की माँग का मतलब इन सबमें से सबसे उच्च है; (i) अनुबंध की माँग (ii) बिलिंग चक्र के दौरान उपयोग किए गए मीटर द्वारा अधिकतम माँग सूचक (एमडीआई) और (iii) स्वीकृत भार जहाँ कभी अनुबंध की माँग, माँग आपूर्ति समझौते में उपबंधित नहीं की गई है।

संविदागत माँग की बिजली आपूर्ति की। कनेक्शन मई 2002 में सक्रिय किया गया था। अप्रैल 2010 से मार्च 2018 की अवधि के बिजली बिलों की समीक्षा ने दर्शाया कि एमडीसीएससी द्वारा ली गई 191 केवीए की संविदागत माँग (सीडी) के विपरीत, माँग का उपयोग वास्तविकता में 130 केवीए से अधिक नहीं था। इस प्रकार प्रति माह कम से कम 61 केवीए की सीडी अप्रयुक्त रही और एमडीसीएससी ने अतिरिक्त सीडी को कम करने के लिए कोई भी कार्रवाई, न करते हुए अप्रयुक्त माँग हेतु परिहार्य स्थाई शुल्क का भुगतान करना जारी रखा। इस प्रकार, डीडीए द्वारा सीडी को 61 केवीए नहीं घटाए जाने से अप्रैल 2010 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान ₹आठ लाख का परिहार्य व्यय हुआ (विवरण **अनुलग्नक-X** के अनुसार)

4.11.3 पूर्वी दिल्ली खेल परिसर (पीडीकेपी), दिलशाद गार्डन

मेसर्स बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड ने पीडीकेपी को आपूर्ति टाइप एचटी (11 केवी) की गैर-घरेलू टैरिफ श्रेणी में 235 केडब्ल्यू के भार तथा 276 केवीए की सीडी की बिजली आपूर्ति की। कनेक्शन जून 2002 में सक्रिय किया गया था। मई 2013 से मार्च 2018 की अवधि के बिजली बिलों की नमूना जाँच ने दर्शाया कि इस अवधि के दौरान 276 केवीए की सीडी के विपरीत माँग का उपयोग वास्तविकता में 102 केवीए से अधिक नहीं था। इस प्रकार कम से कम 174 केवीए की सीडी उक्त अवधि में अप्रयुक्त रही। इस प्रकार डीडीए द्वारा सीडी को 174 केवीए कम नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹19.00 लाख का परिहार्य भुगतान किया गया (विवरण **अनुलग्नक-X** के अनुसार)।

यदि उपर्युक्त उल्लिखित खेल परिसरों के प्रबंधन द्वारा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्तर तक संविदागत माँग को कम करने हेतु समय पर कार्रवाई की गई होती, तो डीडीए द्वारा किये गए ₹59.00 लाख के अतिरिक्त व्यय को टाला जा सकता था।

इस मुद्दे को डीडीए को जुलाई 2018 में तथा फिर उसके बाद अक्टूबर 2018 में सूचित किया गया। डीडीए ने जवाब दिया (अगस्त 2018) कि डीडीए के लिए खेल परिसरों का बहुत महत्व था तथा बुनियादी ढांचे को किसी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जहाँ अचानक उच्च भार की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, उपर्युक्त सभी खेल परिसरों में संविदागत माँग को कम नहीं करने का विचार किया गया। डीडीए ने यह भी कहा कि वह संविदागत माँग को आवश्यकता के पर्याप्त स्तर तक कम कराने की उचित कार्रवाई प्रारम्भ कर रहा था।

मंत्रालय ने जवाब दिया (दिसंबर 2018) कि डीडीए को संविदागत माँग/बिजली के लोड तय करने हेतु और अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि अनावश्यक व्यय से बचा जा सके।

हालांकि, आरएससी, एमडीसीएससी तथा पीडीकेपी के सितंबर 2018 से आगे के बिजली बिलों की जांच ने दर्शाया कि तीनों खेल परिसरों की संविदागत माँग को 295 केवीए, 191 केवीए तथा 276 केवीए से घटा कर क्रमशः 162 केवीए, 150 केवीए तथा 110 केवीए कर दिया गया था, जो कि यह इंगित करता है कि डीडीए का जवाब उनके द्वारा शुरू की गई कार्रवाई के विपरीत था।

कम की गई संविदागत माँग ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि डीडीए के पास संविदागत माँग अतिरिक्त थी तथा डीडीए द्वारा संविदागत माँग को कम करने की कार्रवाई इस मुद्दे को लेखापरीक्षा द्वारा सूचित करने के बाद ही शुरू की गई थी। लेखापरीक्षा के कहने पर डीडीए द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई की सराहना करते हुए, इसी तरह की एक समीक्षा डीडीए को अपने अन्य प्रतिष्ठानों के संबंध में भी करने की आवश्यकता है।

4.12 लेखापरीक्षा के परामर्श पर वसूली ₹4.49 करोड़

भारत सरकार ने असम सरकार को दो परियोजनाओं के लिए मार्च 2007/मार्च 2010 में ₹3.33 करोड़ की रकम दी। असम सरकार ने न तो परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया और न ही रकम वापिस की। लेखापरीक्षा द्वारा मुद्दे को उठाए जाने के बाद, भारत सरकार ने ₹6.76 करोड़ की वसूली योग्य राशि (व्याज समेत) का आकलन किया जिसमें से ₹4.49 करोड़ की वसूली कर ली गयी।

सामान्य वित्तीय नियमों 2005 के नियम 212¹⁶ के अनुसार किसी संस्थान या संगठन को दी जाने वाली गैर आवर्ती अनुदानों के संदर्भ में अनुदानों के जिस प्रयोजन के लिए वे स्वीकृत की गई थीं हेतु वास्तविक उपयोग किए जाने का एक प्रमाणपत्र उस संस्थान या संगठन द्वारा वित्त वर्ष के अंत होने के 12 महीने के भीतर निवेदित कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जीएफआर 2005 का नियम 209 (6) (ix)¹⁷ निर्दिष्ट करता है कि अनुदान की राशि देने से पहले, अनुदानाग्रही की कार्यकारी समिति के सदस्यों को निर्धारित फॉर्मेट में बाँड निष्पादित करने को कहा जाए। यदि अनुदानाग्रही इन शर्तों को पूरा नहीं करता या बाँड की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो अनुदान की पूरी राशि या

¹⁶ जीएफआर 2017, नियम 238 (1)

¹⁷ जीएफआर 2017, नियम 231 (2)

आंशिक भाग वसूल लिया जाए और उस पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज या बाँड में निर्दिष्ट राशि भी वसूली जाए।

जुलाई 2009 में असम सरकार (राज्य सरकार) ने मोरानहाट, असम में शहरी गरीबों के लिए बहु-सेवी भवन के निर्माण के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भूतपूर्व 'आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय' जो अब 'आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय' है, को सिक्किम समेत उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 10 प्रतिशत एकमुश्त समूह फंड के तहत निवेदित किया। परियोजना का उद्देश्य योजनागत आधारिक संरचना का निर्माण कर और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विशेष संदर्भ में रोजगार बढ़ाकर, क्षेत्र के शहरी गरीबजन के जीवन स्तर का सुधार करना था। परियोजना के उद्देश्य थे:

(i) शहर के गरीबों जिसमें विक्रेता व दुकानदार भी शामिल हैं, को एक वैज्ञानिक रूप से योजनाबद्ध बाजार परिसर में दुकानें मुहैया कराने के लिए एक बहु-सेवी भवन का निर्माण; (ii) जनसामान्य के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा करना जिससे नगर का सामाजिक-आर्थिक और भौतिक विकास हो सकें, एवं (iii) शहरी गरीब का वृत्तिक प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना का निर्माण करना।

मंत्रालय की केन्द्रीय संस्वीकृतिदाता समिति द्वारा अपनी 17 मार्च 2010 को हुई बैठक में ₹7.20 करोड़ की लागत पर परियोजना मंजूर कर दी गई। यह निर्णय लिया गया कि केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत मुहैया करायेगी जबकि राज्य सरकार परियोजना का शेष 10 प्रतिशत उपलब्ध कराएगी। केन्द्र सरकार का हिस्सा 25:25:20:20 के अनुपात की चार किश्तों में राज्य सरकार को दिया जाना था।

₹1.80 करोड़ की पहली किश्त राज्य सरकार को 26 मार्च 2010 को दी गई। मोरानहाट टाऊन कमेटी, मोरानहाट, असम परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी थी और टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग निदेशालय, असम सरकार निगरानी एजेंसी थी। जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार निगरानी एजेंसी को हर किश्त का उपयोगिता प्रमाणपत्र देना था एवं परियोजना के पूरा हो जाने पर पूरे अनुदान के लिए समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र भी देना था, और इसके अलावा, मंत्रालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट भी निवेदित करनी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान दस्तावेजों की जाँच से उजागर हुआ कि मार्च 2010 में जारी की गई राशियों के संदर्भ में ना ही राज्य सरकार ने उपयोगिता प्रमाणपत्र निवेदित किया जो मार्च 2011 में देय हो गए थे और ना ही मंत्रालय ने जून 2015 तक उसे मांगा। मार्च 2016 में लेखापरीक्षा ने मंत्रालय द्वारा परिवीक्षण के अभाव पर टिप्पणी बनाई। जुलाई 2016 में, मंत्रालय ने राज्य सरकार को पहली किश्त की पूरी रकम को ब्याज समेत

लौटा देने का अनुरोध किया। मंत्रालय द्वारा इस बाबत फरवरी 2017, जून 2017 और दिसम्बर 2017 को अनुस्मारक दिए गए।

इस बीच, असम सरकार ने (मार्च 2017 में) परिशोधित डीपीआर निवेदित किया चूंकि वो स्थल जो पूर्व में परियोजना के लिए उपलब्ध था, उसे विभिन्न सामाजिक संगठनों के दबाव में बच्चों के खेल मैदान में परिवर्तित कर दिया था। लेकिन, 1 अप्रैल 2017 से योजना को बंद किए जाने संबंधी अपने (17 मई 2017) निर्देशों की दृष्टि में मंत्रालय ने असम सरकार के प्रस्ताव से सहमति नहीं जतायी।

मंत्रालय ने (मई 2018) कहा कि निरंतर अनुस्मारकों के बावजूद, राज्य सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि, मंत्रालय ने असम सरकार को अन्य परियोजनाओं में जारी किए जाने वाली रकमों में से वसूली योग्य राशि को समायोजित करने का विकल्प उपयोग नहीं किया जैसा कि कुछ अन्य योजनाओं में किया जा रहा था (उदाहरणतः राष्ट्रीय हेरिटेज सिटी विकास एवं वृद्धि (एचआरआईडीएवाई) योजना जिसमें अव्ययित शेष बाद की जारी की गई राशियों में समायोजित कर दिये गए थे)।

इस प्रकार, मंत्रालय के खराब पर्यवेक्षण के कारण, न केवल ₹1.80 करोड़ की रकम आठ वर्ष से अधिक के लिए अवरुद्ध रही बल्कि योजना के लक्ष्य और उद्देश्य भी अप्राप्त ही रहे। इसके अतिरिक्त, जीएफआर के प्रावधानों के तहत 10 प्रतिशत की दर से ब्याज भी वसूल किया जाना आवश्यक है।

इसी तरह के एक अन्य मामले में, ऑडिट ने पहले भी असम के जोरहाट में विक्रेताओं के पुनर्वास के लिए बहु उपयोगिता भवन के निर्माण की परियोजना के लिए ₹1.53 करोड़ के अवरोधन के मामले को इंगित किया था।

मंत्रालय ने आगे कहा (अप्रैल 2019) कि “बहुउपयोगिता भवन निर्माण परियोजना, शहरी इलाके मोरानहाट असम ₹1.80 करोड़ का अवरोधन” और “बहुउपयोगिता भवन निर्माण जोरहाट में विक्रेताओं के पुनर्वास के लिए ₹1.53 करोड़ का अवरोधन” हेतु फरवरी 2019 तक क्रमशः ₹1.60 करोड़ और ₹1.83 करोड़ के ब्याज सहित कुल ₹6.76 करोड़ की गणना की गई थी। इसमें से ₹4.49 करोड़ तीन परियोजनाओं के लिए मंत्रालय से अनुमोदित अगली किश्त की रकम से असम सरकार से समायोजित किया गया था और ₹2.27 करोड़ जल्द से जल्द वापस करने का राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। अतः मंत्रालय ने ऑडिट के कहने पर वसूली जाने योग्य राशि में से ₹4.49 करोड़ की अंश वसूली की एवं ₹2.27 करोड़ की राशि अभी भी वसूल की जानी थी।